अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष-39, अंक-04, 01-15 अक्टूबर, 2015

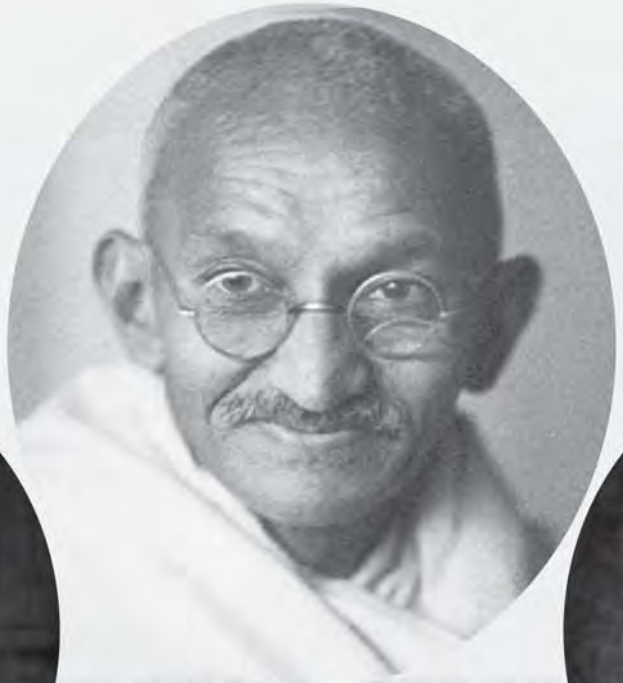

अपने देश की सेवा दुनिया की सेवा से असंगत नहीं है—इस सिद्धांत में मेरा विश्वास बढ़ा ही है। अगर हिन्दुस्तान अपने फर्ज को भूलता है तो एशिया मर जायेगा। यह ठीक ही कहा गया है कि हिन्दुस्तान कई मिली-जुली सभ्यताओं या तहजीबों का घर है, जहां वे सब साथ-साथ पनपी हैं। हम सब ऐसे काम करें कि हिन्दुस्तान एशिया की या दुनिया के किसी भी हिस्से की कुचली और चूसी हुई जातियों की आशा बना रहे।

—महात्मा गांधी

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

सत्य-अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 39, अंक : 04, 1-15 अक्टूबर, 2015

संपादक
बिमल कुमार
मो. : 9235772595

संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ, साधना केन्द्र
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

मूल्य	:	पांच रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC No. UBIN-0538353

विज्ञापन दर

पूरा पृष्ठ	:	**2000 रुपये**
आधा पृष्ठ	:	**1000 रुपये**
चौथाई पृष्ठ	:	**500 रुपये**

इस अंक में...

1. संपादकीय : गांधी-स्मरण के बहाने... 2
2. आजाद भारत का लक्ष्य... 3
3. जेपी : विभूति-सम्पन्न व्यक्तित्व... 5
4. दृढ़ संकल्पवान : लालबहादुर शास्त्री... 6
5. वर्तमान पंचायत राज और... 7
6. कविता : बापू... 9
7. गांधी से प्रेरणा लेने वाला ब्रिटिश... 10
8. जीवन की किताब क्या कहती है?... 12
9. सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं सधेगा... 15
10. संकटमोचक को संकट न बनाएं... 17
11. जमीन से जुड़ा है जीना-मरना... 18
12. गतिविधियां एवं समाचार... 19
13. कविताएं... 20

संपादकीय

गांधी-स्मरण के बहाने

गांधीजी ने औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष के दौरान दो बातें अच्छी तरह समझ ली थी। एक तो यह कि औपनिवेशिक गुलामी एक माध्यम है, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ाने का। जिस दिन वे सारे तंत्र खड़े हो जायेंगे जो आर्थिक साम्राज्यवाद को बिना औपनिवेशिक गुलामी के बढ़ा सकें, उस दिन से उपनिवेशवाद खतम होना शुरू हो जायेगा। लेकिन उपनिवेशवाद के खात्मे के बाद आर्थिक साम्राज्यवाद का तंत्र और भी मजबूत होता जायेगा। इसी कारण गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम को न केवल उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम बनाया, बल्कि भविष्य में आने वाले आर्थिक साम्राज्यवाद के विकल्प के सूत्र भी विकसित करते चले गये। आज गांधीजी का महत्त्व इस संदर्भ में भी है कि हम नव आर्थिक साम्राज्यवाद के विकल्प में गांधीजी द्वारा दिये गये सूत्रों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक स्तर पर पूंजी का केन्द्रीकरण व संचय तथा वैश्विक बाजार द्वारा समस्त आर्थिक क्रियाओं एवं संसाधनों-स्रोतों पर नियंत्रण ये दो तरीके आज के आर्थिक साम्राज्यवाद द्वारा अपनाये जा रहे हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं का विकल्प लोक स्तर से ही खड़ा किया जा सकेगा।

गांधीजी ने दूसरी बात यह समझ ली थी कि आर्थिक साम्राज्यवाद लोक समुदाय को व लोक एकता को नष्ट करने वाली ताकत भी है। ग्राम समुदाय नष्ट हो रहे थे तथा लोक एकता को सप्रयास नष्ट किया जा रहा था। इसके लिए धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता, जाति के आधार पर वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया।

अंग्रेजी शासनकाल में परम्परागत पहचानों को एक-दूसरे से लड़वाने का काम बखूबी किया गया। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का माध्यम बनाया गया।

आज भी आर्थिक साम्राज्यवाद का समर्थन करने वाली शक्तियां लोक स्तर पर एकता को हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। धर्म उसका एक प्रमुख मुखौटा है, लेकिन अन्य तमाम तरीके भी लोक स्तर की एकता को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी ओर आर्थिक साम्राज्यवाद की अर्थ-व्यवस्था व्यक्ति को महज एक यांत्रिक आर्थिक इकाई में बदलती जा रही है। यह यांत्रिक आर्थिक मनुष्य अपनी अंतरात्मा से च्युत होकर, किसी भी लोक एकता का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता। आर्थिक साम्राज्यवाद अपने पूर्ण विकास में ऐसे ही मनुष्यों का निर्माण पूरा करेगा, तब धर्म आदि पहचानों पर लड़वाने की जरूरत खत्म हो जायेगी। आज धर्म के माध्यम से लड़वाने की प्रक्रिया में यह बात शामिल है। क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ने वाले धर्म के मर्म से दूर, और अधिक दूर, होते जा रहे हैं। वे एक यांत्रिक मनुष्य की तरह, रेजीमेन्टेड (सैन्य अनुपालन) मानस से लड़ाई लड़ते हैं। धर्म के मर्म से दूर हुए लोगों को पूरी तरह यांत्रिक मनुष्य में तब्दील करने का काम मुश्किल नहीं होगा। गांधी के हिन्दुत्व को इसी हिन्दुत्व ने मारने की कोशिशें जारी रखी हैं।

गांधीजी से प्रेरणा लेकर हमें पुनः इन तीन क्षेत्रों में पुरजोर ढंग से जुड़ जाना होगा : (1) आर्थिक साम्राज्यवाद का विरोध व विकल्प; (2) लोकसत्ता, लोक संगठन व ग्राम स्वराज्य का निर्माण तथा (3) नये मनुष्य के निर्माण का कार्य, जिसमें वह अपनी अंतरात्मा से च्युत न हो। इन तीनों स्तरों पर एक साथ आंदोलन को आगे बढ़ाकर ही हम सच्चे गांधीजन बन सकेंगे।

बिमल कुमार

2 अक्टूबर
गांधी-जयंती पर विशेष

आजाद भारत का लक्ष्य

❑ महात्मा गांधी

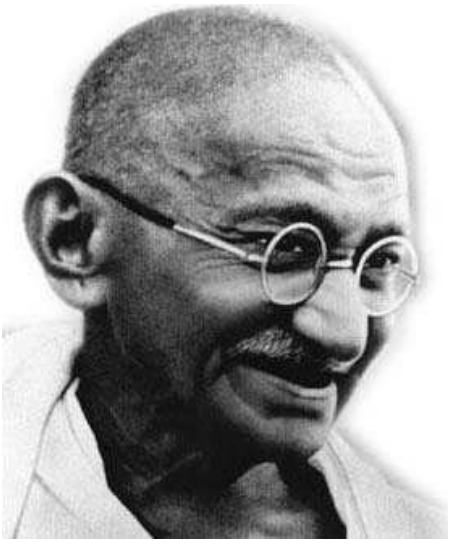

"मैं अपने हृदय की गहराई में यह महसूस करता हूं...कि दुनिया रक्तपात से बिलकुल ऊब गयी है। दुनिया इस असह्य स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। और मैं विश्वास करता हूं तथा उस विश्वास में सुख और गर्व अनुभव करता हूं कि शायद मुक्ति के प्यासे जगत् को यह रास्ता दिखाने का श्रेय भारत की प्राचीन भूमि को ही मिलेगा।"

मैं आजादी इसलिए नहीं चाहता कि मेरा बड़ा देश, जिसकी आबादी संपूर्ण मानव-जाति का पांचवां हिस्सा है, दुनिया की किसी भी दूसरी जाति का, या किसी भी व्यक्ति का शोषण करे। मैं अपनी शक्तिभर अपने देश को ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगा। यदि मैं अपने देश के लिए आजादी चाहता हूं, तो मुझे यह मानना चाहिए कि प्रत्येक दूसरी सबल या निर्बल जाति को भी उस आजादी का वैसा ही अधिकार है। यदि मैं ऐसा नहीं मानता हूं और ऐसी इच्छा नहीं करता हूं, तो उसका यह अर्थ है कि मैं उस आजादी का पात्र नहीं हूं।

मेरी आकांक्षा का लक्ष्य स्वतंत्रता से ज्यादा ऊंचा है। भारत की मुक्ति द्वारा मैं पश्चिम के भीषण शोषण से दुनिया के कई निर्बल देशों का उद्धार करना चाहता हूं। भारत के अपनी सच्ची स्थिति को प्राप्त करने का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि हरएक देश वैसा ही कर सकेगा और करेगा।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत अपनी स्वतंत्रता अहिंसक उपायों से प्राप्त करे, तो फिर वह बड़ी स्थल-सेना, उतनी ही बड़ी जल-सेना और उससे भी बड़ी वायु-सेना रखने की इच्छा नहीं करेगा। यदि आजादी की अपनी लड़ाई में अहिंसक विजय प्राप्त करने के लिए उसकी आत्मचेतना को जितनी ऊंचाई तक उठना चाहिए, उतनी ऊंचाई तक वह उठ सकी, तो दुनिया के माने हुए मूल्यों में परिवर्तन हो जायेगा और लड़ाइयों के साज-सामान का अधिकांश निरर्थक सिद्ध हो जायेगा। ऐसा भारत भले महज एक सपना हो, बच्चों की जैसी कल्पना हो लेकिन मेरी राय में अहिंसा द्वारा भारत के स्वतंत्र होने का फलितार्थ तो बेशक यही होना चाहिए।...तब उसकी आवाज दुनिया के सारे हिंसक दलों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करने वाले एक शक्तिशाली देश की आवाज होगी।

क्या जगत् को रास्ता दिखाने का श्रेय भारत को मिलेगा?

मैं अपने हृदय की गहराई में यह महसूस करता हूं...कि दुनिया रक्तपात से बिलकुल ऊब गयी है। दुनिया इस असह्य स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। और मैं विश्वास करता हूं तथा उस विश्वास में सुख और गर्व अनुभव करता हूं कि शायद मुक्ति के प्यासे जगत् को यह रास्ता दिखाने का श्रेय भारत की प्राचीन भूमि को ही मिलेगा।

हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सरकार क्या नीति अख्तियार करेगी सो मैं नहीं कह सकता। सम्भव है कि अपनी प्रबल इच्छा के रहते हुए भी मैं तब तक जीवित न रहूं। लेकिन अगर उस वक्त तक मैं जिन्दा रहा, तो अपनी अहिंसक नीति को यथासंभव सम्पूर्णता के साथ अमल में लाने की सलाह दूंगा। विश्व की शांति और नयी विश्व-व्यवस्था की स्थापना में यही हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा भी होगा। मुझे आशा तो यह है कि चूंकि हिन्दुस्तान में इतनी लड़ाकू जातियां हैं और चूंकि स्वतंत्र हिन्दुस्तान की सरकार के निर्णय में उन सबका हिस्सा होगा, इसलिए हमारी राष्ट्रीय नीति का झुकाव मौजूदा सैन्यवाद से भिन्न किसी अन्य प्रकार के सैन्यवाद की तरफ होगा। मैं यह उम्मीद तो जरूर करूंगा कि एक राजनीतिक शस्त्र की हैसियत से अहिंसा की व्यावहारिक उपयोगिता का हमारा पिछला सारा...प्रयोग बिलकुल विफल नहीं जायेगा। और सच्चे अहिंसावादियों का एक मजबूत दल हिन्दुस्तान में पैदा हो जायेगा।

जब भारत स्वावलम्बी और स्वाश्रयी बन जायेगा और इस तरह न तो खुद किसी की सम्पत्ति का लोभ करेगा और न अपनी सम्पत्ति का शोषण होने देगा, तब वह पश्चिम या पूर्व के किसी भी देश के लिए—उसकी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो—लालच का विषय नहीं रह जायेगा। और तब वह खर्चीले शस्त्रास्त्रों का बोझ उठाये बिना ही अपने को सुरक्षित अनुभव करेगा। उसकी यह भीतरी स्वाश्रयी अर्थ-व्यवस्था बाहरी आक्रमण के खिलाफ सुदृढ़तम ढाल होगी।

दुनिया के सुविचारशील लोग आज ऐसे पूर्ण स्वतंत्र राज्यों को नहीं चाहते जो एक-दूसरे से लड़ते हों, बल्कि एक-दूसरे के प्रति

मित्रभाव रखने वाले अन्योन्याश्रित राज्यों के संघ को चाहते हैं। भले ही इस उद्देश्य की सिद्धि का दिन बहुत दूर हो। मैं अपने देश के लिए कोई भारी दावा नहीं करना चाहता। लेकिन यदि हम पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय अन्योन्याश्रित राज्यों के विश्वसंघ की तैयारी जाहिर करें, तो इसमें हम न तो कोई बहुत भारी बात ही कहते हैं और न वह असम्भव ही है।

देश-प्रेम और मानव-प्रेम में भेद नहीं है

मेरे लिए देश-प्रेम और मानव-प्रेम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। मैं देश-प्रेमी हूं, क्योंकि मैं मानव-प्रेमी हूं। मेरा देश-प्रेम वर्जनशील नहीं है। मैं भारत के हित की सेवा के लिए इंग्लैंड या जर्मनी का नुकसान नहीं करूंगा। जीवन की मेरी योजना में साम्राज्यवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। देश-प्रेमी की जीवन-नीति किसी कुल या कबिले के अधिपति की जीवन-नीति से भिन्न नहीं है। और यदि कोई देश-प्रेमी उतना ही उग्र मानव-प्रेमी नहीं है, तो कहना चाहिए कि उसके देश-प्रेम में उतनी न्यूनता है। वैयक्तिक आचरण और राजनीतिक आचरण में कोई विरोध नहीं है, सदाचार का नियम दोनों को लागू होता है।

जिस तरह देश-प्रेम का धर्म हमें आज यह सिखाता है कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को ग्राम के लिए, ग्राम को जनपद के लिए और जनपद को प्रदेश के लिए मरना सीखना चाहिए, इसी तरह किसी देश को स्वतंत्र इसलिए होना चाहिए कि वह आवश्यकता होने पर संसार के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे सके। इसलिए राष्ट्रवाद की मेरी कल्पना यह है कि मेरा देश इसलिए स्वाधीन हो कि प्रयोजन उपस्थित होने पर सारा ही देश मानव-जाति की प्राण-रक्षा के लिए स्वेच्छापूर्वक मृत्यु का आलिंगन करे। उसमें जातिद्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कामना है कि हमारा राष्ट्र-प्रेम ऐसा ही हो।

मैं भारत का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि सारी दुनिया उससे लाभ उठा सके। मैं यह नहीं चाहता कि भारत का उत्थान दूसरे देशों के नाश की नींव पर हो।

मेरा देश-प्रेम कोई बहिष्कारशील वस्तु नहीं, बल्कि अतिशय व्यापक वस्तु है और मैं उस देश-प्रेम को बर्ज्य मानता हूं जो दूसरे राष्ट्र को तकलीफ देकर या उनका शोषण करके अपने देश को उठाना चाहता है। देश-प्रेम की मेरी कल्पना यह है कि वह हमेशा, बिना किसी अपवाद के हरएक स्थिति में, मानव-जाति के विशालतम हित के साथ सुसंगत होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो देश-प्रेम की कोई कीमत नहीं। इतना ही नहीं, मेरे धर्म और उस धर्म से ही प्रसूत मेरे देश-प्रेम के दायरे में प्राणीमात्र का समावेश होता है। मैं न केवल मनुष्य नाम से पहचाने जाने वाले प्राणियों के साथ भ्रातृत्व और एकात्मता सिद्ध करना चाहता हूं, बल्कि समस्त प्राणियों के साथ—रेंगने वाले साँप आदि जैसे प्राणियों के साथ भी—उसी एकात्मता का अनुभव करना चाहता हूं। कारण, हम सब उसी एक स्रष्टा की सन्तति होने का दावा करते हैं और इसलिए सब प्राणी, उनका रूप कुछ भी हो, मूल में एक ही हैं।

प्रेम और सत्य का पैगाम

सार्वजनिक जीवन के लगभग 50 वर्ष के अनुभव के बाद आज मैं यह कह सकता हूं कि अपने देश की सेवा दुनिया की सेवा से असंगत नहीं है—इस सिद्धांत में मेरा विश्वास बढ़ा ही है। यह एक उत्तम सिद्धांत है। इस सिद्धांत को स्वीकार करके ही दुनिया की मौजूदा कठिनाइयां आसान की जा सकती हैं और विभिन्न राष्ट्रों में जो पारस्परिक द्वेषभाव नजर आता है। उसे रोका जा सकता है।

अगर हिन्दुस्तान अपने फर्ज को भूलता है तो एशिया मर जायेगा। यह ठीक ही कहा गया है कि हिन्दुस्तान कई मिली-जुली सभ्यताओं या तहजीबों का घर है, जहां वे सब साथ-साथ पनपी हैं। हम सब ऐसे काम करें कि हिन्दुस्तान एशिया की या दुनिया के किसी भी हिस्से की कुचली और चूसी हुई जातियों की आशा बना रहे।

अगर आप पश्चिम को कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो वह प्रेम और सत्य का पैगाम होना चाहिए।...जमहूरियत के इस जमाने में गरीब की जागृति के इस युग में, आप ज्यादा-से-ज्यादा जोर देकर इस पैगाम की जागृति का दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। चूंकि आपका शोषण किया गया है, इसलिए उसका उसी तरह बदला चुकाकर नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी के जरिये आप पश्चिम पर पूरी तरह से विजय पा सकते हैं। अगर हम सिर्फ अपने दिमागों से नहीं, बल्कि दिलों से भी इस पैगाम के मर्म को, जिसे एशिया के विद्वान हमारे लिए छोड़ गये हैं, एक साथ समझने की कोशिश करें और अगर हम सचमुच उस महान् पैगाम के लायक बन जायं, तो मुझे विश्वास है कि हम पश्चिम को पूरी तरह से जीत लेंगे। हमारी इस जीत को पश्चिम खुद भी प्यार करेगा।

पश्चिम आज सच्चे ज्ञान के लिए तरस रहा है। अणु-बमों की दिन-दूनी बढ़ती से वह नाउम्मीद हो रहा है। क्योंकि अणु-बमों के बढ़ने से सिर्फ पश्चिम का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का नाश हो जायेगा, मानो बाइबल की भविष्यवाणी सच होने जा रही है और पूरी दुनिया कयामत होने वाली है। अब यह आपके ऊपर है कि आप दुनिया की नीचता और पापों की तरफ उसका ध्यान खींचें और उसे बचायें। *('मेरे सपनों का भारत' से)*

एक अपील

01 से 03 नवंबर, 2015 को किंग्स्वे कैम्प, गांधी आश्रम, नयी दिल्ली 46वें 'सर्वोदय समाज सम्मेलन' में प्रतिभाग करने वाले सर्वोदय समाज के प्रतिष्ठित साथियों से अनुरोध करना है कि वर्तमान सम्मेलन के आयोजन में बढ़ रहे अधिभार को देखते हुए जन-सहभागिता हेतु पंजीकरण शुल्क रुपये 200/- किये जाने का प्राविधान किया गया। आपके सादर सहयोग की अपेक्षा है।

—**आदित्य पटनायक,** संयोजक, स.स.

11 अक्टूबर
जयप्रकाश नारायण-जयंती

जेपी : विभूति-सम्पन्न व्यक्तित्व

❑ दादा धर्माधिकारी

जयप्रकाश नारायण का अपना एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसमें उनके व्यक्तित्व में इन्द्रधनुष की-सी मोहक विविधता है। उनका व्यक्तित्व जितना विवादग्रस्त है, उतना ही मनोरम भी है। उनके अधिकतर विरोधियों के मन में भी इच्छा तो यही रहती है कि ये हमारे साथ होते, तो अच्छा होता। ऐसे विरोध में भी गर्भित प्रशंसा रहती है। ऐसी टीका में भी गौरवगान समाया रहता है।

कुल मिलाकर उनकी मुखमुद्रा में एक प्रकार की मधुरता है। एक किस्म की सुभगता का पुट है। उनका नीलोत्पलवत् श्यामवर्ण उस सुभगता को बढ़ाता है। उनकी रहन-सहन में विलासिता या प्रसाधन-प्रियता नहीं है। पर सद्अभिरुचि और रसिकता भरपूर है। उनके व्यवहार की सुन्दरता और सभ्यता अनुकरणीय है। लेकिन उनके स्वभाव में औपचारिकता कहीं खोजे भी मिलती नहीं। इस कारण उनके स्वभावगत दोष भी अधिक आघात नहीं पहुंचाते। खुशामद उन्हें पसन्द नहीं। पर खुश हो जाने में भी उन्हें देर नहीं लगती। बच्चे की तरह तनिक-सी बात पर खुश हो जाते हैं, तो तनिक-सी बात पर रूठ भी जाते हैं। स्फटिक के समान उनकी प्रांजलता के कारण ऐसा होता है। उनके हृदय में संतों की-सी शुचिता है, और उसी तरह बाल-सुलभ ऋजुता और सरलता भी है। जिसे अंग्रेजी में 'प्री-पज़ेसिंग प्रेजेन्स' (मंत्रमुग्ध करने वाला अस्तित्व) कहते हैं, उसके जैसा कुछ प्रभाव उनकी उपस्थिति का हमारे चित्त पर पड़ता है।

वीर पुरुष के रूप में तो उन्हें सब कोई जानते और मानते हैं। स्वराज्य की लड़ाई में उन्होंने जिस अतुल पराक्रम और साहसिकता का परिचय दिया है, उसकी गाथा वीर-काव्य के समान ही रोमांचक और हृदयस्पर्शी है। किन्तु सच्चा वीर तो वह है, जिसका हृदय करुणा के पीयूष से छलाछल भरा हो, और इसी कारण मक्खन की तरह मृदुल हो। जयप्रकाशजी के स्वभाव में काली-से-काली चट्टानों को भी भेद सकने लायक सरलता है। मौका पड़ने पर उनके चित्त में आवेश और रोष भी जाग्रत होता है। लेकिन इस सब के मूल में करुणा की सहज प्रेरणा पायी जाती है। उनके व्यक्तित्व में बुद्धि और हृदय, ऋजुता और प्रांजलता का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है।

वे जिस सत्य को देखते हैं, उसे अपने सम्पूर्ण चित्त से ग्रहण कर लेते हैं और उसे अमली रूप देने के लिए जी-जान से जुट जाते हैं। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को कोई मत-वाद, कोई सम्प्रदाय, कोई संस्था या कोई संगठन अपनी सीमा में कैद नहीं कर पाया है। जब-जब परिस्थिति में चुनौतियां खड़ी होती हैं, तब-तब वे अपनी सहज प्रेरणा से उनका सामना करते हैं।

अपने मत के विषय में अभिनिवेश होने पर भी उनकी बुद्धि में आग्रह या जिद के लिए कोई जगह नहीं होती। परिणामस्वरूप उनके स्वभाव में उत्कटता होते हुए भी असहिष्णुता नहीं है। इसी के कारण नए विचारों को ग्रहण करने की क्षमता उनकी बुद्धि में से कभी लुप्त नहीं हुई। अनाग्रह ही तो बुद्धिमत्ता का अनन्य लक्षण है।

अनाग्रह के कारण ही उनका सौहार्द और उनकी सहृदयता मतभेदों के अंतर पटों को चीरकर प्रतिपक्षी के हृदय को भी छू लेती है। कभी-कभी ऐसा भास होता है कि अपने मत का प्रतिपादन करने का जयप्रकाशजी का आवेश असहिष्णुता की सीमा को छू लेता है। किन्तु उनके हृदय की उदारता सारे मतभेदों को लाँघकर मानवीय सम्बन्धों को ही परिपुष्ट करती रहती है। किसी भी प्रकार में तथ्यों की खोज करने की एक अदम्य आकांक्षा उनमें सदा ही बनी रहती है। उनकी यह वृत्ति भी उन्हें क्षुद्र मताग्रह से हमेशा बचाए रहती है।

अदम्य पराक्रमशीलता के रहते भी महत्त्वाकांक्षा उन्हें तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाती। शायद इसीलिए उनके एक मित्र ने उनके जीवन को खोए हुए अवसरों की एक कहानी कहा है। परिस्थितिवश एक के बाद एक अवसर उनके सामने अपने आप आते ही गये, किन्तु खुद उनसे कोई लाभ उठा लेने की इच्छा ही उनके मन में कभी जागी नहीं।

सच तो यह है कि जयप्रकाश ने सत्ता की राजनीति के संकुचित दायरे से निकलकर लोकनीति के क्षितिज-व्यापी क्षेत्र में पदार्पण किया था। तालाब में से निकलकर उन्होंने अपनी नाव को विशाल समुद्र में डाल दिया था। इसमें सन्देह नहीं कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद की परिधि और वर्तुल बहुत बड़े होते हैं, परंतु निरुपाधिक नागरिकता का क्षेत्र तो असीम होता है। इस दृष्टि से देखें तो जयप्रकाशजी का व्यक्तित्व भी उत्तरोत्तर व्यापक ही बनता गया। ईसामसीह ने कहा है कि अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले को ही असल में जीवन की यथार्थ उपलब्धि होती है।

('जयप्रकाश स्मृति ग्रंथ' से) ❑

2 अक्टूबर
लाल बहादुर शास्त्री-जयंती

दृढ़ संकल्पवान : लाल बहादुर शास्त्री

❑ अनीता शर्मा

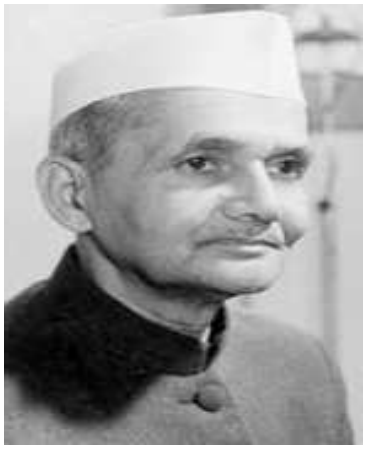

साधनों का अभाव प्रगति में बाधक नहीं होता, ये प्रेरणा बचपन के लिए परिस्थिति से जूझते हुए एक बालक अपनी विधवा मां का हर सम्भव सहारा बनने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन का शंखनाद हुआ। ये वाक्या 1921 का है, जब अनेक लोग भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को आतुर थे। देशभक्ति की इस लहर में 16 वर्षीय लाल बहादुर शास्त्रीजी का मन भी आंदोलन में जाने को अधीर हो गया। वे अपने अध्यापक से इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अनुमति लेने गये परंतु गुरुजी ने समझाया कि बेटा हाईस्कूल की परीक्षा में कुछ दिन बचे हैं, परिश्रम करके अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मां को सहारा हो जायेगा। विद्यालय छोड़कर आंदोलन में जाने की इजाजत रिश्तेदारों ने भी नहीं दी। फिर भी युवा लाल बहादुर शास्त्री जी अपने अंतःकरण की आवाज को रोक नहीं पाये और अपने तथा अपनी मां के हित को देशहित पर बलिदान करने के लिए निकल पड़े।

शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के पास रामनगर में हुआ था। पिता शारदा प्रसाद शिक्षक थे। शास्त्रीजी के बाल्यकाल में ही पिता का साया सर से उठ गया था। इस तरह जिन्दगी की परीक्षा बाल्यावस्था से ही शुरू हो गयी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बालक का सहारा उनकी माँ राजदुलारी थीं। पिता के न रहने पर भी उन्होंने परावलम्बन को कभी स्वीकार नहीं किया।

शास्त्रीजी एक बार 12 वर्ष की उम्र में साथियों के साथ गंगा पार मेला देखने गये थे, परंतु लौटते समय पैसा न होने के कारण गंगा नदी को तैरकर पार किया। नाना एवं मौसा के घर रहकर उनकी शिक्षा पूरी हुई। ईमानदारी तथा परिश्रम में विश्वास रखने वाले शास्त्रीजी पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, फिर भी दृढ़ संकल्प और मेहनत से हिन्दी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनका प्रमुख विषय दर्शनशास्त्र था। पारिवारिक स्थिति साधारण होने के बावजूद उनका लक्ष्य साधारण नहीं था। मन में देश-भक्ति का जज़बा पूरे जोर-शोर से धड़क रहा था। घर की आर्थिक स्थिति का भी उन्हें एहसास था। उन्होंने लोकसेवा संघ में अपने मित्र अलगुराय चौधरी के साथ अछूतोद्धार का काम आरंभ किया। उनकी लगन, श्रम तथा तत्परता से लाला लाजपत राय बहुत प्रभावित हुए। शास्त्रीजी संघ के आजीवन सदस्य मनोनीत हुए। उन्हें सात रुपया भत्ता मिलता था, जो बाद में 100 रुपये हो गया था, इसे वे घर वालों को दे देते थे। *'सादा जीवन, उच्च विचार'* का अनुसरण करने वाले शास्त्रीजी मितव्यता का जीवंत उदाहरण थे। 1927 में उनका विवाह ललिता देवी से हुआ। ललिता देवी ने भी लाल बहादुर शास्त्रीजी के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लिया और भारत की आजादी के लिए सदैव शास्त्रीजी को सहयोग देती रहीं।

कर्तव्यनिष्ठ शास्त्रीजी को जो भी काम दिया जाता था, वे उसे पूरी निष्ठा से करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता उनपर विश्वास करने लगे। आदर्शों के प्रति निष्ठा रखने वाले शास्त्रीजी जब नैनी जेल में थे, तब उनकी पुत्री बहुत बीमार हो गयी थी। पैरोल पर छूटने के लिए लिखित आश्वासन देना होता था कि वे इस दौरान किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यद्यपि उन्हें जेल से बाहर आंदोलन में हिस्सा लेना मना था, फिर भी उन्होंने यह बात लिखकर नहीं दी, अंत में जेल को उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी देनी पड़ी ताकि वे अपनी बेटी को देखने जा सकें। जेल में शास्त्रीजी अपने हिस्से की वस्तुओं को दूसरों को देकर प्रसन्न होते थे। एक बार एक जरूरतमंद कैदी को उन्होंने अपना लैम्प दे दिया और स्वयं सरसों के तेल के दीये में टाल्स्टॉय की किताब 'अन्ना केरिनिना' पढ़ी। जेल जीवन उनके लिए तपस्या के समान था। उनके व्यवस्थित और सरल जीवन को देखकर जेल अधिकारी तथा सहयात्री आश्चर्य करते थे। आजादी के आंदोलन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। जेल में ही उन्होंने मैडम क्यूरी की जीवनी हिन्दी में लिखी थी। इस काल में उन्होंने कई ग्रंथ भी पढ़े।

नेहरूजी के देहांत के बाद 9 जून, 1964 को कांग्रेस पार्टी ने शास्त्रीजी को अपने नये नेता के रूप में चुना और वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ तब शास्त्रीजी के नारे 'जय जवान-जय किसान' ने पूरे देश में एक नयी ऊर्जा का संचार कर दिया था। इसी युद्ध की समाप्ति के लिए शास्त्रीजी रूस के ताशकंद शहर गये और समझौते पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद 11 जनवरी, 1966 को कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने के कारण शास्त्रीजी का देहांत हो गया। इस खबर को सुनकर विश्व के अनेक नेताओं की आंखें नम हो गयीं। उनका जीवन परिवार तक सीमित नहीं था, वे पूरे देश के लिए जिये और अंतिम यात्रा भी देश-हित के विचार में ही निकली। 2 अक्टूबर को जन्मे शास्त्रीजी सच्चे गांधीवादी थे। सादा एवं सच्चा जीवन ही उनकी अमूल्य धरोहर है।

आज उनके जन्म-दिवस पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और भारत माता के लिए किये गये उनके बलिदान को कोटि-कोटि नमन करते हैं। ❑

पंचायत राज

वर्तमान पंचायत राज और गांधीवादी पंचायत राज का विश्लेषण

❑ डॉ. रमेश चंद्र शर्मा

संविधायक सच्चे मन से पंचायत राज व्यवस्था संबंधी गांधी विचारों को स्थापित करना नहीं चाहते थे अन्यथा संविधान निर्माण के प्रथम ड्राफ्ट, संविधान की प्रस्तावना इत्यादि में इसका उल्लेख पहले ही किया जा सकता था। यह कार्य तो गांधी समर्थकों द्वारा जीवंत बहस का परिणाम रहा है।

गांधी चिन्तन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व एवं पश्चात् स्वदेशी एवं विदेशी बुद्धिजीवी वर्ग की दिलचस्पी को अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। रोम्या रोलां ने लिखा है कि ''अगर भारत को समझना है तो गांधी और स्वामी विवेकानंद को समझो, वह सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि की झलक हैं।'' गांधीजी ने भारतीय परम्परा और संस्कृति का सूक्ष्म तथा विशाल दृष्टि से उसकी आंतरिक शक्ति एवं निरंतरता को समझा। इसी दृष्टि के निर्माण में संस्कारिक जड़ताओं से मुक्ति की चेष्टा प्रखरतम रूप से मौजूद है। गांधी सद्गुणी व्यक्ति एवं नैतिकतापरक समाज के प्रयोजन से प्रेरित ऐसे जनतंत्र के पक्षधर थे।

4 नवंबर, 1948 को संविधान के द्वितीय प्रारूप पर विचार करने हेतु जब संविधान सभा की बैठक हुई, बैठक में इस आधार पर संविधान की आलोचना हुई कि यह संविधान न तो भारतीय है और ना ही गांधीवादी। प्रोफेसर एन. जी. रंगा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रारूप संविधान में गांधी तथा उन असंख्य शहीदों, जिनके कारण संविधान सभा का गठन सम्भव हुआ, की महान सेवाओं का उल्लेख और सिद्धांतों का समावेश नहीं किया गया है। शिबनलाल सक्सेना ने प्रारूप का विरोध करते हुए कहा था कि यह उन सब उद्देश्यों का प्रतिवाद है जिसके लिए गांधी ने संघर्ष किया था। महावीर त्यागी इस निर्मित संविधान से अत्यन्त असंतुष्ट थे। उन्होंने संविधायकों से अपील की थी कि उन्हें इस प्रारूप की परख गांधी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि गांधी की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी ही देश से गांधी दृष्टिकोण का विलोप न हो पाये। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि गांव संकीर्णता, अज्ञानता, अंधविश्वास और साम्प्रदायिकता व निम्न स्वार्थों की पूर्ति का अड्डा है। ग्रामीण गणतंत्र के कारण भारत का नाश हुआ है। ग्राम पंचायतों को संविधान का आधार बनाना आत्मघाती और खतरनाक सिद्ध होगा। विकेन्द्रीकरण से अन्याय, अत्याचार बढ़ेगा, रूढ़िवादी कट्टरपंथी सत्ता हथिया लेंगे। गांधी-प्रारूप हरिजन और गरीब का उत्थान करने वाला नहीं है बल्कि इसका यथार्थ क्रियान्वयन भी असम्भव है। संविधान सभा और उसके बाहर ग्राम पंचायतों के प्रति अभिव्यक्त अगाध प्रेम, विश्वास और राज व्यवस्था का आधार बनाये जाने की वकालत संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों को आश्वस्त नहीं कर सके।

संविधायक सच्चे मन से पंचायत राज व्यवस्था संबंधी गांधी विचारों को स्थापित करना नहीं चाहते थे अन्यथा संविधान निर्माण के प्रथम ड्राफ्ट, संविधान की प्रस्तावना इत्यादि में इसका उल्लेख पहले ही किया जा सकता था। यह कार्य तो गांधी समर्थकों द्वारा जीवंत बहस का परिणाम रहा है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण गांधी के सच्चे वारिस होने का दावा किया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया अन्यथा पंचायत राज पर विस्तृत विवरण, दिशा निर्देश संविधान में निहित होते; जैसे शक्तियां, निर्वाचन, वित्तीय प्रबन्धन इत्यादि। स्वतंत्र भारत के संविधान में अध्याय चार अनुच्छेद 40 स्पष्ट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त-शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 व 4 में संशोधन के साथ ही संविधान भाग 9वप और 11वप अनुसूची को प्रतिस्थापित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के अनुसरण में पहली बार संपूर्ण देश में पंचायती राज की संविधानिक व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों के लिए सीटों का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि पांच वर्ष करने व किसी पंचायत को भंग कर देने पर छः माह में चुनाव कराने की व्यवस्था की गयी है। 11वप अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय दिये गये हैं।

गांधी के विचारों के अनुरूप पंचायत राज में गणराज्य के सभी गुण होने चाहिए। जिसमें स्वावलंबन, स्वशासन आवश्यकतानुसार स्वतंत्रता और विकेन्द्रीकरण तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सभी अधिकार पंचायत के पास हों। निर्णय आम सहमति या जनहित में हो, न कि मत गिनती द्वारा। गांवों में गरीबी और बेरोजगारी निवारण जैसी सभी नीतियां निर्मित करने का दायित्व व अधिकार रखते हों। वास्तव में ग्राम का नागरिक बेरोजगार, भूखा, वस्त्रहीन न रहे ऐसे दायित्वों की पूर्ति का कार्य पंचायतें करेंगी। अर्थात् व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता—भोजन, वस्त्र,

आवास की जिम्मेदारी गांव अपने स्तर पर प्रबंध करेगा। लोगों में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग हो, अगर प्रतिस्पर्धा भी होगी तो अधिक सेवा करने की। चुनाव में शारीरिक श्रम करने वाले जनप्रतिनिधि खड़े किये जायेंगे। समाज सेवी सदस्य को जनता स्वयं खड़ा करेगी, न कि राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये व्यक्तियों में से किसी एक को वोट देना जनता की मजबूरी होगी। वास्तव में आज के प्रतिनिधियों को जन इच्छा का प्रतिनिधि कहना ही गलत है। जनता द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। कदाचार, अनैतिकता और जनहित के विपरीत आचरण की स्थिति में 75 प्रतिशत जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधि को वापिस बुलाया जा सकेगा। गांधीय पंचायतराज सामुद्रिक वृत्त के अनुरूप होगा। ऊपर के स्थान पर नीचे से ऊपर की ओर सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, यही गांधी के सपनों का पंचायत राज है।

प्रश्न यह उठता है कि गांधीजी ने पंचायत राज को क्यों इतनी प्रधानता दी? वे भारत को जितनी अच्छी तरह जानते थे अन्य कोई उतना अच्छी तरह नहीं समझाता था। वे भारतीय मानस को समझने वाले व्यक्ति थे।

उन्होंने समझा कि नव जाग्रत भारत का मानव जो ग्रामों में रहता है, अपनी गरिमा और गौरव को पंचायत के पुनरुत्थान द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। भारत गांवों में बसता है और जब तक गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास सम्भव नहीं है। वे लोग भारत का ही नाश करेंगे जो गांवों को कमजोर करके उनका नाश करेंगे।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायत राज की स्थापना के लिए समय-समय पर शोध-कार्य होते रहे और सुझाव सरकारों के पास आते गये। बलवंत राय मेहता कमेटी, एल. एम. सिंधवी कमेटी जिसमें मुख्य है। संविधान का 73वां संशोधन सरकारी पंचायत राज की स्थापना में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वतंत्रता से आज तक ग्राम विकास के घोषित कार्यक्रमों के पीछे वोट की राजनीति हावी रही है। गांधी दृष्टि के नाम का उपयोग करना और गांधीजी के सिद्धांतों से दूर रहने की प्रवृत्ति इनके पीछे व्याप्त रही है। उपरोक्त संशोधन द्वारा स्थापित निर्वाचन प्रणाली, दलबन्दी, गुटबन्दी, स्वार्थ, घृणा, द्वेष, हिंसा का विस्तार करने वाली है, जिसकी गांधी सदैव खिलाफत करते रहे हैं। गांधी विचार के अनुसार प्रत्यक्ष जनता द्वारा स्थापित जन-प्रतिनिधि चुनाव द्वारा ही ऐसे दोषों से बचा जा सकता है। आज की व्यवस्था प्रतिनिधि व्यवस्था के एक अंग रूप में है, जो आत्मनिर्भरता के स्थान पर केन्द्रों पर निर्भरता में वृद्धि ही करता है। इसमें निर्णय, नियोजन, प्रक्रिया निर्धारण का आरम्भिक बिन्दु राजधानी है, जबकि गांधी चिन्तन में गांव होना चाहिए, सत्ता पीरामिड के अनुसार ऊपर से नीचे को विकेन्द्रित होती है। गांधी विचार सत्ता नीचे से ऊपर जानी चाहिए। सरकार द्वारा स्थापित पंचायतों का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य की सिद्धि है। सिद्धांत प्रायः गौण हैं। जबकि गांधी सिद्धांत व साधनों को प्रथम स्थान देते हैं। गांधी ग्राम पंचायत के स्थान पर स्थापित पंचायती राज प्रभावी लाभदायक एजेंसी मात्र बनकर रह गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सही कहा था ''हम बापू के सपनों का पंचायत राज स्थापित नहीं कर सके।'' वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में गांधी की ग्राम-स्वराज योजना को ढूंढ़ना मृग-मरीचिका होगा।

गांधी विचार गांव के सम्बन्ध में जीवन जीने की एक समग्र योजना है। जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्त्व देने के साथ समाज की सर्वोपरिता के साथ सामंजस्य है। वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सत्य अहिंसा के साधन अपनाने की बात कही गयी है। वर्तमान में स्थापित पंचायत योजना में गांधी चिन्तन को ढूंढ़ना चाहें तो वह मिलना दूभर है क्योंकि दोनों संकल्पनाओं में कोई साम्य नहीं।

गांधी जहां आत्म निर्भर गांव की कल्पना करते हैं, वहां आज हमारे गांव वैश्वीकरण के युग में अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए पराश्रित होते चले जा रहे हैं। इस योजना में गांव को आत्मनिर्भर बनाने का आधार नहीं बनाया गया। और, न ही इस दिशा में सार्थक योगदान किया गया। अतः वर्तमान पंचायत राज गांधी की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। गांधीजी और संविधायकों की सोच में भारी अंतर रहा है। इसी के परिणामस्वरूप पंचायत राज मात्र सरकारी कार्यक्रम बनकर रह गया।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज लोकतंत्र की एक ईकाई के रूप में प्रकट हुआ है। अधिकांश पंचायत की योजनाएं केन्द्रों से निर्मित होती हैं। ऐसे में इसे गांधी का पंचायत राज कैसे कहा जा सकता है? आज सरकार व जनता में साफ बात कहने की हिम्मत नहीं है। यह क्यों नहीं कहा जाता कि हमें पंचायत राज नहीं बल्कि गांवों को आधुनिक विकास का साधन और गांवों का 'वैश्वीकरणवादी' बाजारीकरण करने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता है क्योंकि इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। वास्तव में पंचायती राज की वर्तमान व्यवस्था आम जनता को लोकशाही की प्रक्रिया में अपना प्रत्यक्ष योगदान करने से वंचित रखने का माध्यम बन गयी है, जबकि गांव ही ऐसा स्तर है, जहां स्वशासन में जनता का प्रत्यक्ष योगदान हो सकता है। पंचायत राज संशोधन कानून का मुख्य प्रावधान केवल चुनावों से संबंधित है। जनता के हाथ में सत्ता वास्तव में तभी आयेगी जब हर गांव की अपनी पंचायत होगी। आज की तरह दो-चार-पांच गांवों को मिलाकर नहीं आ सकती है।

राजनीति विश्लेषक रजनी कोठारी अपनी पुस्तक 'भारत में राजनीति' में लिखते हैं कि पंचायत राज में बालिग मताधिकार, राजनैतिक दलों की स्पर्धा और आर्थिक योजनाओं तथा जनता की भलाई के कार्यों के चालू होने से जातियों के मुखियाओं का महत्त्व बढ़ गया है। राजनैतिक नेताओं को इनसे व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकार गांवों के

सामाजिक ढांचे का राजनीतिकरण हो रहा है। शासन तथा राजनीतिक दलों का नीचे की ओर फैलाव से गांधी की कल्पना के स्वावलम्बी ग्राम समाज की स्थापना नहीं हुई है। राजनीतिक संगठन या शासन की इकाई के रूप में गांव का महत्त्व घटा है। ग्राम सुधार या सामुदायिक शिक्षा, प्रचार, यातायात, जातीय संगठनों आदि के द्वारा गांव ऊपर के स्तर से प्रभावित होते हैं।

संविधान निर्माताओं ने चाहे दबाव में ही सही, पंचायतराज व्यवस्था का समावेश संविधान में आधे-अधूरे मन से किया हो परंतु इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इससे भारतीय राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक-सी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है। संभव है इस कदम का दूरगामी महत्त्व नेताओं ने उस समय न समझा हो, प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में इसकी सफलता में उन्हें संदेह था और इसका मजाक उड़ाया गया था। परंतु आज इसके महत्त्व एवं सफलता के कार्यों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। यह गांधी विचारों की दूरदर्शिता की श्रेष्ठता को स्वमेव प्रमाणित कर देता है।

73वां संशोधन अधिनियम स्थानीय सरकार को मात्र संवैधानिक दर्जा देता है। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए स्थानीय सरकार को स्वतंत्र इकाई का दर्जा देना आज भी बाकी है। इस अर्थ में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वतंत्र निकाय वाली पंचायत ग्रामीण गणतंत्र का गांधी-सपना; सपना ही रहेगा।

देश के अन्दर विकेन्द्रीकरण की जब एक पृष्ठभूमि है, कानून निर्मित हो चुके हैं, परंतु जिन सही अर्थों में यह डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए था, यह उन अर्थों में नहीं हुआ है। संविधान में ''यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट' लिखा है, जबकि गांधीजी ने 'सेल्फ सफिसियेंट विलेज रिपब्लिक' कहा था। यह जो बनाये हुए ढांचे हैं, वह खोखले रह गये हैं। पंचायतों को अधिकार, जिम्मेदारियां या साधन विशेषतः प्रदान नहीं किये गये हैं, न ही नौकरशाही कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रदान की गयी। जो नौकरशाही वहां हैं, वह तो वहां 'मालिकशाही' बन चुकी है।

यह संशोधन निर्धारित समय में निर्वाचन कराने की व्यवस्था करता है परंतु निर्धारित समय पर निर्वाचन नहीं कराने पर राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है और कैसे, इस पर संविधान में कुछ नहीं लिखा है। इस प्रकार की जो भी टेक्निकल कमियां हैं उन्हें दूर करना होगा।

निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहना है कि गांधी के पंचायत राज को वर्तमान सरकारी पंचायतों का कहना भ्रम उत्पन्न करना है। दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि गांधी का पंचायत राज चाहे काल्पनिक कहा जाये, परंतु वह श्रेष्ठ है। अगर गांधी का पंचायत राज लागू करना है तो संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, नागरिकों को निर्भीकता, सीमित आवश्यकता, परोपकार और पारदर्शी भावना, नैतिक चरित्र की श्रेष्ठता से कार्य करना होगा। सरकारों की तरफ मुखापेक्षा तक छोड़नी होगी तभी हम गांधी पंचायत राज की ओर बढ़ सकते हैं।

www.mkgandhi.org ❑

कविता

बापू

❑ रामधारी सिंह 'दिनकर'

संसार पूजा जिन्हें तिलक,
रोली, फूलों के हारों से।
मैं उन्हें पूजता आया हूं,
बापू! अब तक अंगारों से।।

अंगार, विभूषण यह उनका,
विद्युत पीकर जो आते हैं।
ऊंघती शिखाओं की लौ में,
चेतना नई भर जाते हैं।।

उनका किरीट जो भंग हुआ,
करते प्रचंड हुंकारों से।
रोशनी छिटकती है जग में,
जिनके शोणित के धारों से।।

झेलते वह्नि के वारों को,
जो तेजस्वी बन वह्नि प्रखर।
सहते ही नहीं दिया करते,
विष का प्रचंड विष से उत्तर।।

अंगार हार उनका, जिनकी,
सुन हाँक समय रुक जाता है।
आदेश जिधर का देते हैं,
इतिहास उधर झुक जाता है।।

अंगार हार उनका, मृत्यु भी,
जिनकी आग उगलती है।
सदियों तक जिनकी सही,
हवा के वक्षस्थल पर जलती है।।

पर तू इन सबसे परे; देख,
तुझको अंगार लजाते हैं।
मेरे उद्वेलित-जलित गीत,
सामने नहीं हो पाते हैं।।

तू कालोदधि का महास्तम्भ,
आत्मा के नभ का तुंग केतु।
बापू! तू मर्त्य, अमर्त्य, स्वर्ग,
पृथ्वी, भू, नभ का महा सेतु।।

तेरा विराट यह रूप कल्पना,
पट पर नहीं समाता है।
जितना कुछ कहूं मगर,
कहने को शेष बहुत रह जाता है।।

लज्जित मेरे अंगार; तिलक-
माला भी यदि ले आऊं मैं।
किस भांति उठूं इतना ऊपर?
मस्तक कैसे छू पांऊं मैं।।

ग्रीवा तक हाथ न जा सकते,
उँगलियां न छू सकती ललाट।
वामन की पूजा किस प्रकार,
पहुंचे तुम तक मानव, विराट।। ❑

वैश्विक परिदृश्य

गांधी से प्रेरणा लेने वाला ब्रिटिश पीएम की रेस में

❑ के. विक्रम राव

कइयों का मानना है कि सत्तर फीसदी वोट पाकर कार्बिन पहले दौर में ही जीत जायेंगे। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कुमारी एण्डी बर्नहम केवल तीस प्रतिशत के आसपास हैं। उनके विरोधियों का नारा है कि पार्टी सदस्य किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, ''बस जेरेमी कार्बिन को न दें।'' पूर्व प्रधानमंत्री डेविड केमरून ने कह दिया कि ब्रिटिश सियासत में भूकम्पीय परिवर्तन आशंकित हैं। कार्बिन एक विद्युत इंजीनियर थे। अबर लेबर पार्टी और परम्परावादी ब्रिटेन को जबरदस्त झटका देने वाले हैं।

सोचिए, यदि आगामी संसदीय चुनाव में साम्राज्यवादी, सरमायदार और गोभक्षी राष्ट्र ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक गांधीभक्त, उपनिवेश-उन्मूलक, शाकाहारी और तम्बाकू व शराब से सख्त परहेजी कोई श्रमजीवी व्यक्ति हो जाये तो? आज यही खौफ सता रहा है सत्तासीन कंजर्वेटिव-लिबरल गठबंधन को। लेबर पार्टी के राष्ट्रीय नेता का संगठनात्मक निर्वाचन सितंबर 12 को हुआ। नेता पद रिक्त हुआ था जब एड मिलबैण्ड ने गत संसदीय निर्वाचन में पार्टी की शर्मनाक पराजय के बाद त्याग-पत्र दिया था। मिलबैंड राहुल गांधी के सखा हैं। क्या संयोग है कि दोनों अपने राष्ट्रीय संसदीय चुनाव बुरी तरह हारे। यूं इस्तीफा तो राहुल गांधी ने भी दिया पर स्वीकार नहीं किया गया था। ताजा जन सर्वेक्षण के मुताबिक साठ प्रतिशत से ऊपर लेबर सदस्य आक्रामक वामपंथी जेरेमी कार्बिनी के पक्षधर हैं। उनके प्रचंड बैरी हैं पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जिनकी 'न्यू लेबर' नीतियों को कार्बिन चुनावी पराजय का प्रमुख कारण मानते हैं। पार्टी नेताओं को वे मिलावटी समाजवाद के बनावटी प्रचारक कहते हैं। वर्ग संघर्ष तजकर वे सब समरसवादी हो गये। जवाब में टोनी ब्लेयर ने कहा कि इस उग्र वामपंथी का जुनून लेबर पार्टी को दफन कर देगा। जब कुछ समीक्षकों ने टिप्पणी की कि लेबर पार्टी के आम सदस्यों का हुजूम कार्बिन की सुनामी से डगमाया है, क्योंकि आम सदस्य कार्बिन में देखता है कि ''वे मामूली आदमी की भांति जमीनी बातें बोलते हैं।'' भारतीय दृष्टि में देखें तो कार्बिन मूर्तिभंजक लोहिया की याद दिलाते हैं। छह दशक हुए प्रजासोशलिस्ट पार्टी ने अपने ही महासचिव को निष्कासित कर दिया था क्योंकि लोहिया ने कोचीन में अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री पट्टम थानू पिल्लई से त्याग पत्र मांगा था। तब निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर समाजवादी पुलिस ने गोली चला दी थी। कार्बिन का नजरिया स्पष्ट है : ''श्रमजीवी हमारी पार्टी की जड़ हैं, शाखा भी।'' सात बार लगातार निर्वाचित हुए यह सांसद अपने सोशलिस्ट साथियों की धूमिल हो रही जनवादी छवि का मार्जन कर रहा है। पार्टी की नीतियों से समीकरणवादिता खत्म कर बांकपन लाना चाहता है। मध्यममार्गी विचारों से उनका विरोध है। वे अपने स्वर्गीय जुझारू अगुवा एन्यूरिन बेविन की उक्ति दुहराते हैं कि ''जो बीच रास्ते चलता है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।'' आखिर है कैसी प्रकृति के कार्बिन? कुछ पहलू उनके निजी जीवन से। फैशन के लिए मशहूर लंदन में वे सूट पहनते हैं जिसपर सिलवटें दिखती हैं। टाई सदैव नहीं बांधते हैं। सारे सांसदों में उनके शासकीय खर्चे और भत्ते का बिल सबसे कम है। उनके पास मोटरकार नहीं है। बस अथवा साइकिल से चलते हैं। उन्होंने रेस्त्रां श्रृंखला मैकडोनल्ड पर मुकदमा ठोका था क्योंकि जीवदया के दर्शन की वह अवमानना करता है। इसीलिए ब्रिटेन द्वारा एशियाई देशों का कुत्ते के डिब्बाबंद गोश्त के निर्यात के विरुद्ध आंदोलन उन्होंने चलाया था। 'महात्मा गांधी के प्राणी मात्र से प्यार ने मेरे मर्म को हुआ है', वे बोले। वे पशु-अधिकारों की रक्षा के हरावल दस्ते में हैं। उन्हें गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से 2013 में नवाजा गया था। अहिंसा में उनकी दृढ़ आस्था है। उनका मत था कि गांधीजी को कितना भी पढ़ो फिर भी कम ही जानोगे। विशाल साहित्य है। दलितों को वे दुनिया का सर्वाधिक पीड़ित समुदाय मानते हैं। कार्बिन की जिद्द थी कि साधारण म्युनिसिपल स्कूल में बेटा पढ़े। आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि गांधी के भारत में आज भी दलितों का शोषण अनवरत है। अंतर्राष्ट्रीय दलित एकजुटता समिति के वे अध्यक्ष हैं। सामाजिक न्याय पर उनका उद्बोधन (9 जनवरी, 2014) यादगार था। गांधी के सत्याग्रह तकनीक का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया, जब लंदन स्थित दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग दूतावास के सामने 1984 में कार्बिन ने रंगभेद नीति के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन किया था। जेल में कैद भी हुए थे। सादगी इस कदर उन पर हॉवी है कि कार्बिन ने अपनी पत्नी क्लाडिया को तलाक दे दिया क्योंकि उसने अपने बेटे का महंगे स्कूल में दाखिला कराया था।

कार्बिन के राजनैतिक विचार और चिन्तन क्रांतिकारी हैं। इसलिए पार्टी में उनके शत्रुजन उन्हें अतिवादी करार देते हैं। वे राजवंश का ही खात्मा चाहते हैं। ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक शासन हो और भारत की भांति राष्ट्रपति प्रणाली लायी जाय। इसीलिए जब राजमाता का लंदन में निधन हुआ था, सारे

सांसदों ने काला कोट शोक में पहना था। कार्बिन हर्ष का सूचक लाल कोट पहनकर संसद में आये थे। हाउस ऑफ लार्डस (राज्यसभा) जहां केवल वंशानुगत और मनोनीत सांसद होते हैं, को उनकी राय में अजायबघर पहुंचा दिया जाय।

कार्बिन की वैश्विक नीति के समक्ष अच्छे खासे प्रगतिवादी राष्ट्रनायक फीके-बुझे दिखेंगे। वे एक साम्राज्यवादी राष्ट्र के नागरिक हैं, जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। क्योंकि दुनिया के किसी न किसी देश पर उसका राज था जहां सूरज उस घड़ी मौजूद रहता था। मगर कार्बिन का सिद्धांत है कि एक देश के लोगों द्वारा दूसरे देश पर राज करना गुनाह है, पाप है। इसीलिए लातिन अमरीका में अर्जिन्टीना ने जब अपने भूभाग फाल्कलैंड द्वीप को सदियों से चले आ रहे ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त करा लिया था तो कार्बिन ने उसका स्वागत किया था। पड़ोसी आयरलैण्ड के उत्तरी भू-भाग पर से अपने देश का कब्जा हटाकर वे आयरलैंड को अविभाजित स्वाधीन गणतंत्र बनाने के पक्षधर हैं। ब्रिटेन के घोरतम शत्रु और आइरिश सशस्त्र विद्रोहियों (ब्रिटेन की दृष्टि में आतंकवादी) के नेता गैरी एडमस को कार्बिन ने लंदन के संसद परिसर (1984) में दावत दी थी। फिलीस्तीन के अरब शरणार्थियों के वे सशक्त पैरोकार हैं। जब लेबर प्रधानमंत्री टोली ब्लेयर ने अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश की पूंछ बनकर ईराक के बाथ सोशलिस्ट राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर हमला बोला था तो कार्बिन ने संसद तथा सड़क पर अपनी पार्टी वाली सरकार का पुरजोर विरोध किया था। लंदन में दस लाख लोगों के जुलूस का कार्बिन ने नेतृत्व किया था। सरकार की मुखालफत में उन्होंने सदन में वोट दिया था। पार्टी ह्विप को तोड़ा था। कुल पांच सौ बार पार्टी के निर्देश को वे तोड़ चुके हैं, निडरता से। वे युद्ध-विरोधी, परमाणु निरस्त्रीकरण, एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा एशिया-अफ्रीका में औपनिवेशिक दासता के उन्मूलन में अत्यधिक सक्रिय हैं। आज समूचे ब्रिटेन में मीडिया, संसद सदन और सार्वजनिक गोष्ठियों तथा बैठकों में बस एक ही विषय छाया है। पैंसठ वर्षीय जेरेमी कार्बिन कितने वोटों से लेबर पार्टी के राष्ट्रीय नेता चुने जायेंगे। कयास केवल जीत के फासले पर है। पिछली बार जब उनकी पार्टी संसदीय चुनाव हारी थी, तो भी कार्बिन को पहले के निर्वाचन में प्राप्त वोटों की संख्या से दुगुने मिले थे। अब संगठन के मतदान में इससे भी बेहतर रिकार्ड होगा, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं उनमें चालीस वर्ष से कम आयु के लोग अधिक हैं। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में हैं।

कइयों का मानना है कि सत्तर फीसदी वोट पाकर कार्बिन पहले दौर में ही जीत जायेंगे। उनकी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कुमारी एण्डी बर्नहम केवल तीस प्रतिशत के आसपास हैं। उनके विरोधियों का नारा है कि पार्टी सदस्य किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, "बस जेरेमी कार्बिन को न दें।" पूर्व प्रधानमंत्री डेविड केमरून ने कह दिया कि ब्रिटिश सियासत में भूकम्पीय परिवर्तन आशंकित हैं। कार्बिन एक विद्युत इंजीनियर थे। अबर लेबर पार्टी और परम्परावादी ब्रिटेन को जबरदस्त झटका देने वाले हैं। ❑

गांधी की प्रक्रिया

❑ दादा धर्माधिकारी

एक बार मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला। मजिस्ट्रेट मुझे जानता था, इसलिए कहने लगा कि "जेल तो तू चला जाता है, मुझे मालूम है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि तुझे जुर्माना ही करूंगा, जेल नहीं भेजूंगा।" यह सुनकर दिल में धक्का तो जरूर लगा। मैं कुछ घबराया भी। पर डरकर तो काम चल नहीं सकता था। मैंने कहा, "कीजिए जुर्माना! धमकाते क्यों हैं?"

मेरी कलाई पर एक सोने की घड़ी थी। उस पर उसकी दृष्टि पड़ी। मैंने सोचा, यह इस घड़ी की कीमत का तो कम-से-कम जुर्माना करेगा ही। यह बात मुझसे कैसे सही जा सकती थी? मैंने चुपके से एक वकील मित्र के हाथों घड़ी घर भिजवा दी। पता नहीं कैसे बापू को इस बात का पता चल गया, वह जो नित्य जागृत थे। मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि "तूने चोरी की है!"

मैंने कहा, "बापू, इसमें चोरी कैसी? मेरी घड़ी थी, मैंने घर भेज दी।"

बोले, "तेरी थी, तो कलाई पर ही क्यों नहीं रखी? घर क्यों भेज दी? इसलिए न कि तुझे पता चल गया था कि वह तेरी रहने वाली नहीं है?"

बोले, "तुझे खुद जाकर वह जुर्माना दे आना है। पहले सरकार तुझसे वसूल करती; अब उल्टा होगा, तुझे स्वयं जाकर अदा करना होगा।"

ऐसी उल्टी बात बापू हमेशा करते थे। हमने कहा, "सरकार को तो मजा ही है, हम जुर्माना देते चले जायेंगे, वह जुर्माना करती चली जायेगी।

हम अहिंसा की प्रक्रिया को नहीं समझते। हमने यह नहीं समझा था कि उस व्यक्ति के शब्दों में कितनी शक्ति है। जुर्माना हमने दे दिया। एक व्यक्ति को दस बार जुर्माना हुआ। सरकार समझ गयी कि "जैसे जेल से ये लोग नहीं घबराते थे, वैसे ही जुर्माने से भी ये लोग नहीं घबराते हैं।"

हमें सोचना है कि क्या हमारी वह भावना अब तक बनी है? क्या हमने अपने हृदय से सम्पत्ति और स्वामित्व का निराकरण कर दिया है? बिहार में मुझसे विद्यार्थियों ने पूछा कि "दौलत तो बाप की है, मालकियत उनके पास है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें?" मैंने कहा कि "तुम पहले पिताजी से कहो कि हमारे लिए कुछ मत रखिये। सारी सम्पत्ति दे दीजिये। पिताजी यदि न मानें, तो कह दीजिये कि आज से मैंने आपकी सम्पत्ति पर से अपना अधिकार छोड़ दिया है।"

* *7, गुलिस्तां कॉलोनी, बंदरियाबाग, लखनऊ-226001, मो. 9415000909*

गतांक से आगे...

जीवन की किताब क्या कहती है?

❑ जे. कृष्णमूर्ति

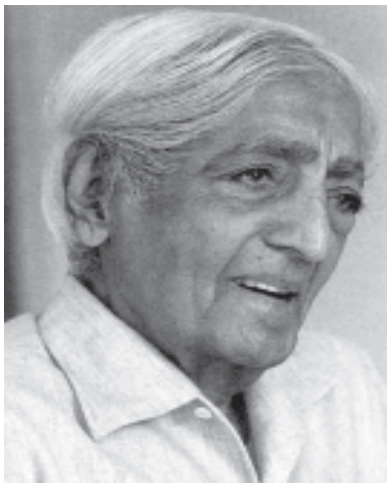

जहां विभाजन है वहां द्वंद्व का होना लाजमी है, जो कि अंतर्विरोध है। जब आप अव्यवस्था की प्रकृति को समझ लेते हैं, उस बोध में से, समझ की उस गहराई में से, सहज ही, व्यवस्था का आगमन होता है। व्यवस्था उस फूल की तरह है जो स्वाभाविक ढंग से खिलता है, और वह व्यवस्था, वह फूल कभी मुरझाता नहीं। आपके जीवन में हमेशा एक व्यवस्था रहती है क्योंकि आपने सचमुच, गहराई से उस किताब को–स्वयं को–पढ़ा है, जो कहती है कि जहां भी विभाजन है वहां द्वंद्व होना ही होना है।

कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो बेहद नाखुश है, जो टकराव, संघर्ष और लड़ाई-झगड़े से घिरा है; और ऐसा लगता है इस सब का कोई अंत ही नहीं है। हमारा कहना है कि यदि हम जान सकें कि इस किताब को पढ़ना कैसे है, जो कि आप ही हैं, तो समस्त द्वंद्व, कोलाहल, क्लेश, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। केवल तभी, सत्य का आगमन आपके जीवन-क्षेत्र में हो पाता है। केवल ऐसा ही मन सच में धार्मिक मन होता है, न कि विश्वासों में जकड़ा या तमाम अनुष्ठानों में रत मन, न ही वह मन जो अजीब-अजीब बाने धारण करता है, बल्कि ऐसा मन जो उस किताब को पूरी तरह पढ़ने के बाद अब मुक्त है। केवल ऐसा मन ही सत्य के आशीष को ग्रहण कर पाता है। ऐसा मन ही समय के पार जा सकता है, निस्सीम पार।

तो हम यह किताब साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, कोई छपी हुई किताब नहीं, बल्कि वह किताब जो कि आप हैं। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सुनें, सिर्फ इस वक्ता द्वारा कही जा रही बातों को ही नहीं, बल्कि उसे भी जिसे यह वक्ता आपकी किताब कह रहा है, यानी आप, इसे अध्याय-दर-अध्याय, पन्ने के बाद पन्ना खोलते हुए पढ़ें, आखिर तक; अगर आप इतनी दूर तक सफर कर सकें। और अगर हमें मौजूदा मानवीय समस्याओं को सुलझाना है, तो हमें साथ मिलकर यह सफर तय करना ही होगा। साथ मिलकर ही हम इसे सुलझा पायेंगे, एक व्यक्ति के तौर पर नहीं।

तो पहला अध्याय क्या है? मेरी गुजारिश है कि मिलकर सोचें, यह नहीं कि मैं ही आपको सब बताता रहूं। तो क्या है इस किताब का पहला अध्याय, और उस अध्याय की अंतर्वस्तु?

दैहिक अस्तित्व के अतिरिक्त—यह दैहिक संरचना, देह के समस्त अतिश्रम, रोग, आलस, सुस्ती, समुचित भोजन, समुचित पोषण का अभाव—इस सब के अलावा, पहली गति, पहली हलचल क्या है? यह अन्वेषण हम साथ मिलकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अन्वेषण करके तब आपको बता रहा हूं, वह तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता। लेकिन अगर हम ऐसा साथ-साथ करते हैं तो यह आपकी अपनी खोज होगी, और जब आप इसे पढ़ने में सक्षम होंगे, तब आपको किसी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही किसी मनोवैज्ञानिक की; आपको किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। आप उस अद्भुत स्वतंत्रता को महसूस करना शुरू करेंगे जो अपार जीवनशक्ति देती है—मानसिक स्वतंत्रता की जीवंतता। तो आइए, इस किताब में एक साथ भागीदार हों। क्या आप मेरी प्रतीक्षा में हैं? मुझे अंदेशा है कि ऐसा ही है, क्योंकि आपने स्वयं को कभी गहराई से देखा ही नहीं। शायद आपने अपना चेहरा देखा होगा, बालों में कंघी की होगी, चेहरे पर पाउडर लगाया होगा, वगैरह; लेकिन आपने कभी अपने भीतर झांककर नहीं देखा है।

जब आप अपने अंदर देखते हैं तो क्या आपको यह पता नहीं चलता कि आप एक सेकेण्ड हैंड इंसान हैं, बस एक नकल हैं? स्वयं को एक सेकेण्ड हैंड इंसान समझना शायद आपको अप्रिय लगे। लेकिन क्या हम दूसरे लोगों द्वारा दी गयी जानकारियों से भरे हुए नहीं हैं—किसने क्या कहा है, किस दार्शनिक ने, या किस गुरु ने या बुद्ध ने क्या कहा, ईसा ने क्या कहा आदि? हम इन सब बातों से भरे हुए हैं। यदि आपका स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाना हुआ है, वहां भी आपको कहा गया है कि आप क्या करें, क्या सोचें। इसलिए यदि आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप एक सेकेण्ड हैंड इंसान हैं, तब आप मन के उस लक्षण को दूर हटा सकते हैं, और देख पाते हैं।

सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अंतर्विरोधों में जी रहे हैं, हमारे भीतर कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था कोई सुनिश्चित रूपरेखा नहीं है, इसका अर्थ हर रोज किसी चीज को एक ही जगह रख देना नहीं है। व्यवस्था के निहितार्थ किसी आदत, चलन या मान्यता विशेष के यांत्रिक अनुशासन से कहीं

बढ़कर हैं। हम कह रहे हैं कि व्यवस्था सामान्य, स्वीकृत अनुशासन से बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी शब्द 'डिसिप्लिन' लैटिन इत्यादि से आया है और इसका अर्थ है सीखना—किसी के अनुसार चलना, नकल, अनुकरण या आज्ञा-पालन नहीं; बल्कि सीखना। इसलिए इस किताब में, इसके पहले अध्याय में हमें पता चलता है कि हम असाधारण रूप से दिग्भ्रमित और अव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं—इधर किसी चीज की इच्छा करते हैं और उधर उसे ही नकारने लगते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो एक लगातार अंतर्विरोध बना रहता है। और जहां अंतर्विरोध है, वहां द्वंद्व होगा ही, टकराव होगा ही।

आप यह सब समझ रहे हैं? आपको वक्ता को नहीं समझना है, आप इस किताब को, यानी खुद को देख-समझ रहे हैं और आप देखते हैं कि आप अव्यवस्थित ढंग से जी रहे हैं, आप निरंतर द्वंद्व में हैं, तनाव में हैं। वही द्वंद्व स्वयं को अभिव्यक्त करता है महत्त्वाकांक्षा के रूप में, परितुष्टि एवं आज्ञा-पालन के रूप में, किसी व्यक्ति, किसी देश, किसी अवधारणा के साथ तादात्म्य व पहचान जोड़ लेने के रूप में; और यह द्वंद्व इस तरह भी अभिव्यक्त होता है कि असलियत के साथ कभी जीना ही नहीं हो पा रहा। अतः आप राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर तथा अपने परिवार में भी अव्यवस्था में ही जिया करते हैं। तो आपको यह पता करना होगा कि व्यवस्था क्या है। यह किताब (जो कि आप ही हैं) आपको यह बता देगी, बशर्ते कि आप जानते हों कि इसे पढ़ना कैसे है। यह कह रही है कि आप अव्यवस्था में जी रहे हैं। आगे जाइए, पन्ना पलटिए, वहां आपको पता चलेगा कि अव्यवस्था में जीने के मायने क्या हैं। अगर हम अव्यवस्था का, 'डिसॉर्डर' का कारण नहीं समझ लेते, तो व्यवस्था 'ऑर्डर' कभी वजूद में नहीं आयेगा।

तो हम पाते हैं कि अव्यवस्था तब तक बनी रहेगी, जब तक अंतर्विरोध मौजूद है। केवल शब्दों के स्तर पर अंतर्विरोध नहीं, बल्कि मानसिक अंतर्विरोध, अर्थात खरा, पूरी तरह से खरा न होना। (जब आप कुछ कहें, तो आपका अभिप्राय वस्तुतः वही हो, आप वही कहना चाह रहे हों—यानी अदम्य सत्यनिष्ठा।) तो हमें अव्यवस्था की प्रकृति को समझना होगा, बौद्धिक या शाब्दिक तौर पर नहीं, बल्कि वस्तुतः। तो किताब कह रही है, ''आप जो पढ़ रहे हैं उसका किसी सूत्र-सिद्धांत में तर्जुमा न करें; सम्यक् रूप से, सही से इसे पढ़ें।'' जब आप इसे पढ़ रहे हैं, यह कहती है कि आपका अंतर्विरोध तभी खत्म हो सकता है, जब आप अंतर्विरोध की प्रकृति को समझ लें। यह अंतर्विरोध बना रहता है जब विभाजन हो, बांट हो—हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच, यहूदियों और अरब लोगों के बीच, साम्यवादियों तथा गैर-साम्यवादियों के बीच, और यह जो सतत विभाजनकारी प्रक्रिया चालू है विविध ढंग के बौद्धों के बीच, विविध ढंग के हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच, एवं अन्यत्र भी।

जहां विभाजन है वहां द्वंद्व का होना लाजमी है, जो कि अंतर्विरोध है। जब आप अव्यवस्था की प्रकृति को समझ लेते हैं, उस बोध में से, समझ की उस गहराई में से, सहज ही, व्यवस्था का आगमन होता है। व्यवस्था उस फूल की तरह है जो स्वाभाविक ढंग से खिलता है, और वह व्यवस्था, वह फूल कभी मुरझाता नहीं। आपके जीवन में हमेशा एक व्यवस्था रहती है क्योंकि आपने सचमुच, गहराई से उस किताब को—स्वयं को—पढ़ा है, जो कहती है कि जहां भी विभाजन है वहां द्वंद्व होना ही होना है। अब, क्या आपने उस किताब को इतनी स्पष्टता से पढ़ा है कि आप अव्यवस्था की प्रकृति को, इसके स्वभाव को समझ गये हैं? मैं इसमें थोड़ा और गहरे जाना चाहूंगा। वही अगला अध्याय है।

अगला अध्याय कहता है जब तक आप केन्द्र से परिधि की ओर काम कर रहे होते हैं, तब तक अंतर्विरोध रहेगा ही। तात्पर्य यह कि जब तक आप स्व-केन्द्रित होकर, स्वार्थपूर्वक, अहंकारपूर्वक, व्यक्तिगत दायरे के तहत कर्म कर रहे होते हैं, इस व्यापक जीवन की समग्रता को इस छोटे से 'मैं' में सीमित-संकीर्ण कर देते हैं, तो यह मानकर चलिए कि आप अव्यवस्था ही लाने वाले हैं, क्योंकि यह 'मैं' विचार द्वारा रची-गढ़ी एक बेहद मामूली चीज है। विचार ही यह नाम, यह रूपाकार, यह मानसिक संरचना और यह छवि है जो इसने अपने बारे में बनायी है : ''मैं कोई हस्ती हूं।'' इसलिए, जब तक यह स्व-केन्द्रित गतिविधि जारी है, अंतर्विरोध अवश्यम्भावी है; अतएव अव्यवस्था अवश्यम्भावी है।

और यह किताब कहती है, ''यह मत पूछिए कि कैसे हम स्व-केन्द्रित न हों।'' मेहरबानी करके इस पर गौर कीजिए। किताब कहती है कि जब आप जानना चाहते हैं, ''कैसे?'' तब आप कोई विधि, कोई तरीका पूछ रहे होते हैं; और अब अगर आप उसका अनुसरण करते हैं, तब वह भी एक अन्य प्रकार की स्व-केन्द्रित गतिविधि ही तो हुई। यह किताब ही आपको यह सब बता रही है, मैं नहीं बता रहा। वक्ता आपके लिए इस किताब की टीका-व्याख्या नहीं कर रहा है, हम इसे साथ-साथ पढ़ रहे हैं। और जब तक आप किसी सम्प्रदाय से, किसी समूह से, किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, आपको द्वंद्व पैदा करना ही करना है।

यह बात हजम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हम सभी किसी-न-किसी तत्त्व में विश्वास करते ही हैं। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, दूसरा नहीं करता; कोई बुद्ध में विश्वास करता है, तो कोई और ईसा में, और इस्लाम कहता है कि मसला कुछ और ही है। इस तरह विश्वास मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंधों में विभाजन ले आता है। हालांकि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन जिन्दगी आप ईश्वर वाली नहीं जीते। तो विश्वास की कोई कीमत नहीं हुआ करती। यह आपका *विश्वास* नहीं है कि सूरज उगता है और डूबता है; आप ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे, ''सूरज के उगने और डूबने में मैं विश्वास करता हूं।'' तब विश्वास की कोई दरकार ही नहीं होती जब आपका सरोकार केवल तथ्यों से होता है, तथ्य

यानी वह, जो असल में आपकी किताब में घटित हो रहा है।

अब समस्या यह खड़ी होती है कि आप किताब को पढ़ते कैसे हैं, और क्या आप किताब से भिन्न हैं। जब आप कोई उपन्यास या कोई सनसनीखेज किताब उठाते हैं, रोमांचित करने वाली कहानी और वह सब, तो आप उसे एक बाहरी पाठक की तरह पढ़ते हैं, पन्ने पलटते जाते हैं, लेकिन यहां तो पाठक स्वयं ही किताब है। आप समझ रहे हैं न कठिनाई क्या है? पाठक ही यह किताब है, वह इसे पढ़ रहा है, जैसे कि उसका ही एक हिस्सा इसे पढ़ रहा है। वह कोई किताब नहीं पढ़ रहा है। पता नहीं आप यह समझ पा रहे हैं या नहीं।

किताब यह भी कहती है कि इनसान किसी न किसी के वर्चस्व में रहता आया है—राजनीतिक, धार्मिक, किसी नेता की, गुरु की, उस शख्स की 'अथॉरिटी' जो जानकार है या बुद्धिजीवी, दार्शनिक है। मनुष्य हमेशा सत्ता-प्रामाण्य के किसी ढर्रे के अनुरूप रहता रहा है। बड़े गौर से सुनिए जो किताब आपसे कह रही है। कानून की अधिसत्ता, 'अथॉरिटी' हुआ करती है; चाहे आप उस कानून का अनुमोदन करें अथवा न करें, कानून की अधिसत्ता तो रहती ही है। फिर पुलिस वाले की अधिसत्ता, निर्वाचित सरकार की अधिसत्ता, और किसी तानाशाह की अधिसत्ता होती है। हम उस 'अथॉरिटी' के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किताब में उस अधिसत्ता के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे मन सुरक्षा पाने के लिए तलाश करता है। मन हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहा करता है, किताब कहती है।

और किताब यह कहती है कि जब आप मानसिक सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, तब आप अधिसत्ता की स्थापना करने ही वाले हैं—पुरोहित का प्रामाण्य, किसी छवि की अधिसत्ता, उस शख्स की 'अॅथारिटी' जो कहता है, ''मैं संबोधि को उपलब्ध हो चुका हूं, मैं आपको बताऊंगा।'' अतः किताब कहती है, उस प्रकार की सारी अधिसत्ता से, 'अॅथारिटी' से मुक्त हो जाइए, जिसका अर्थ है अपना प्रकाश स्वयं बनिए। जीवन की समझ के लिए, इस किताब की समझ के लिए, *किसी पर* निर्भर मत करिए। इस किताब को पढ़ना हो तो आपके और किताब के बीच कोई और नहीं है—न दार्शनिक, न पुरोहित, न गुरु, न ईश्वर, कुछ भी नहीं। आप ही यह किताब हैं और आप इसे पढ़ रहे हैं। इसलिए किसी की भी 'अथॉरिटी' पति की हो पत्नी पर, या पत्नी की पति पर। इसका तात्पर्य है, अकेले खड़े होने का सामर्थ्य, लेकिन ज्यादातर लोग इस कदर डरे-डरे-से हैं।

किताब कहती है कि आपने अव्यवस्था व व्यवस्था पर, और अधिसत्ता पर, प्रथम अध्याय पढ़ लिया है, उसकी चर्चा कर ली है। अगला अध्याय कहता है, जीवन संबंध है। जीवन है संबंध की क्रियाशीलता। यह किसी व्यक्ति विशेष से आपका अंतरंग संबंध मात्र नहीं है; आप पूरी-की-पूरी मानवजाति के साथ संबंधित हैं, इसलिए कि आप बाकी मनुष्य प्राणियों की तरह ही तो हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों, क्योंकि वे दुःख से गुजरते हैं, ऐसे ही आप दुःख से गुजरते हैं, ऐसी ही तमाम बातें साझा हैं। मानसिक तल पर, आप यह संसार हैं, और यह संसार है : आप। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। *...क्रमशः अगले अंक में*

मन की एकाग्रता की शक्ति

❑ साने गुरुजी

मन की एकाग्रता में बड़ी शक्ति है। एकलव्य ने मन एकाग्र करके ही धनुर्विद्या सीखी। मन एकाग्र करने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। सूर्य की किरणों को बिल्लौरी कांच (लेंस) के द्वारा केन्द्रित कर रूई पर रखो तो रूई जलने लगती है। बिखरी हुई किरणों में यह शक्ति नहीं होती। मन की शक्ति बिखरी रहे तो संसार में तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी।

महापुरुषों में ऐसी एकाग्रता होती है। वे प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्य से उसे हासिल करते हैं। विवेकानंद अमरीका गये हुए थे। वहां उन्होंने बुखार से तड़पती हुई एक स्त्री को देखा। वे उसके पास गये। उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और ध्यानस्थ होकर खड़े रहे। फिर आंखें खोलीं और बोले : ''तुम्हारा बुखार उतर गया है।'' सचमुच बुखार उतर गया था। मन में ऐसी संकल्प-शक्ति, ऐसी इच्छा-शक्ति रहती है। इसलिए सदा दूसरों की भलाई ही सोचनी चाहिए। हमारे मन में पैदा होने वाले विचारों का भी संसार पर प्रभाव पड़ता है। एकाग्र विचारों का तो और अधिक पड़ता है।

आज गांधीजी की ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। सन् 1927 की बात है। बापूजी मद्रास गये थे। उन्हें पता चला कि ब्रिटेन के मजदूर नेता, मशहूर समाजवादी, श्री फेनर ब्रॉकवे मद्रास के अस्पताल में बीमार हैं। महात्माजी की विशाल सहानुभूति चुप कैसे रहती? ऐसे मामलों में वे बड़े तत्पर थे। वे अस्पताल गये। फेनर ब्रॉकवे बहुत ही बीमार थे, बेचैन थे।

गांधीजी बोले : ''मैं आपसे मिलने आया हूं।''

उन्होंने कहा : ''आपकी बड़ी कृपा है।''

''कृपा तो ईश्वर की है। आपको बहुत तकलीफ हो रही है क्या?''

''क्या कहूं? बड़ी बेचैनी महसूस होती है।''

''आखिर क्यों?''

''नींद बिलकुल नहीं आती। जरा नींद आ जाय, तो कितना अच्छा हो।''

''आप ठीक कहते हैं। नींद तो रसायन है।'' यह कहकर गांधीजी उनके माथे पर प्रेम से हाथ रखकर खड़े हुए, आंखें बंद कर लीं। मन एकाग्र किया। क्या वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे? या अपनी शांति उस तप्त मस्तक में उँड़ेल रहे थे? कुछ देर बाद आंखें खोलकर गांधीजी बोले : ''अब आपको नींद आयेगी। आराम होगा। आप सुखी होंगे।''

इतना कहकर गांधीजी लौट आये। ब्रॉकवे ने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम 'पचास वर्ष का समाजवादी जीवन का इतिहास' है। उसमें वे लिखते हैं : ''कितना आश्चर्य है। गांधीजी गये और कुछ ही देर में मुझे एकदम गहरी नींद आ गयी। नींद खुली, तो कितनी स्फूर्ति लग रही थी!''

एकाग्रता में ऐसी अद्‌भुत शक्ति है।

❑

मत-सम्मत

सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं सधेगा टिकाऊ विकास

❑ अरुण तिवारी

कहना न होगा कि पानी-हवा समेत कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनके दैनिक उपयोग और संरक्षण को लेकर भारतीय समाज के हर वर्ग को साक्षर होने की जरूरत है; नेता, अफसर, इंजीनियर, ठेकेदार, किसान से लेकर शिक्षक, वकील और डॉक्टर तक। यदि हम इनके उपयोग और संरक्षण को लेकर साक्षर हो जायें, तो न मालूम अपना और अपने देश का कितने आर्थिक, प्राकृतिक और मानव संसाधनों को सेहतमंद बनाये रखने में सहायक हो जायें!

वर्ष 2011 की जनगणना मुताबिक 74.04 प्रतिशत भारतीयों को अक्षरज्ञानी कहा जा सकता है। वर्गीकरण करें, तो 82.14 प्रतिशत पुरुष और 65.46 महिलाओं को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आगे बढ़ने और जिन्दगी की रेस में टिकने के लिए अक्षर ज्ञान जरूरी है। इस संदर्भ में उनके इस विश्वास से शायद ही किसी को इनकार हो कि इसमें साक्षरता की भूमिका, मुख्य संचालक की हो सकती है। किन्तु क्या साक्षरता का मतलब सिर्फ वर्णमाला के अक्षरों और मात्राओं को जोड़कर शब्द तथा वाक्य रूप में पढ़ लेना मात्र है? क्या मात्र अक्षर ज्ञान हो जाने से हम हर चीज के बारे में बुनियादी तौर पर ज्ञानी हो सकते हैं? नहीं!

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'साक्षरता और टिकाऊ समाज' को इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का मुख्य विचार-बिन्दु तय किया गया था। गौर कीजिए कि यह बिन्दु, हमारे उत्तर का समर्थन करता है। टिकाऊ विकास के स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में सक्षमता हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विचारकों ने भी सिर्फ साक्षरता को नहीं, बल्कि सीखने का वातावरण को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में महत्त्व दिया है। 'सीखने का वातावरण'—हम भारतीयों को इसके मंतव्य पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वे कहते हैं कि टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए व्यापक ज्ञान, कौशल, व्यवहार और मूल्यों की आवश्यकता है। यह सच है कि ये सभी आवश्यकताएं हमें टिकाऊ विकास की भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इसी के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने खास निवेदन किया है कि टिकाऊ विकास के भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें यह वर्ष साक्षरता और टिकाऊ विकास का जुड़ाव व सहयोग सुनिश्चित करने हेतु समर्पित करना चाहिए।

अक्षर ज्ञान से कितना आगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन?

आप सन्तुष्ट हो सकते हैं कि यह बात भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा बहुत पहले समझ ली गयी थी; इसीलिए साक्षरता मिशन के कार्यक्रम, आज अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं हैं; इसीलिए मिशन के संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान की संकल्पना की। इन अभियानों को, नवसाक्षर को खासतौर पर आसपास के परिवेश और जरूरी कौशल के बारे में साक्षर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

प्रकृति प्रेमी इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि भारत सरकार के साक्षरता मिशन ने अन्य विषयों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को विशेष उद्देश्य के रूप में चिह्नित किया है। किन्तु इस बात पर आप असंतुष्ट भी हो सकते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रम इस दिशा में रस्म अदायगी से बहुत आगे नहीं बढ़ सके हैं। कहने को आज भारत के 424 एवम् 176 जिले क्रमशः संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता अभियानों की पहुंच में है। किन्तु भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सामाजिक पहल की सुस्त दर बताती है कि जरूरत रस्म अदायगी से कहीं आगे बढ़ने की है। बगैर औपचारिक-पंजीकृत संगठन बनाये ऐसी पहल के उदाहरण तो और भी कम हैं।

कितने निरक्षर हम?

दरअसल, हमें साक्षरता की आवश्यकता हवा, पानी, नमी, जंगल, पठार, पहाड़ से लेकर अनगिनत जीवों और वनस्पतियों...सभी की बाबत है। क्या यह सच नहीं कि अक्षर ज्ञान रखने वाले ही नहीं, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में भी आज प्रकृति और प्राकृतिक संरक्षण के मसलों को लेकर अज्ञान अथवा भ्रम कायम है। नदी जोड़ ठीक है या गलत? कोई कहता है कि 'रन ऑफ रिवर डैम' से कोई नुकसान नहीं; कोई इसे भी नदी के लिए नुकसानदेह मानता है। कोई नदी को खोदकर गहरा कर देने की नदी पुनर्जीवन का काम मानता है; कोई इसे नदी को नाला बना

देने का कार्य कहता है। किसी के लिए नदी, नाला और नहर में भिन्नता भी साक्षर होने का एक विषय है। कोई गाद और रेत के फर्क और महत्त्व को ही नहीं समझता। कोई है, जो गाद और रेत निकासी को सब जगह अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। कोई मानता है कि जितने ज्यादा गहरे बोर से पानी लाया जायेगा, वह उतना अच्छा होगा। किसी की समझ इससे भिन्न है।

पानी-पर्यावरण साक्षरता के कई विषय

ज्यादातर लोग आज मानते हैं कि 'आर. ओ. वाटर' बॉयलर और बैटरी के लिए मुफीद है, जीवों के पीने के लिए नहीं। उनका तर्क है कि 'आर. ओ.' प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली झिल्ली सिर्फ खनिजों को ही वहीं नहीं रोक लेती, बल्कि ऐसे जीवाणुओं का भी वहीं खात्मा कर देती है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहयोगी हैं; जिन्हें प्रकृति ने हमें असल पानी के साथ मुफ्त दिया है। लिहाजा, 'आर. ओ. वाटर' इसी तरह 'मिनरल वाटर' के नाम पर मिल रहे बोतल-बंद पानी को लेकर भी मतभिन्नता है। 'आर. ओ. वाटर' और 'मिनरल वाटर' नहीं, तो शुद्ध पानी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या? पानी को ठंडा करने के लिए मिट्टी का मटका, रेफ्रिजरेटर से बेहतर विकल्प क्यों है? मिट्टी का मटका पानी को शीतल ही नहीं करता, नाइट्रेट जैसी अशुद्धि से मुक्त करने का काम भी करता है। क्या यह हमारे साक्षर होने का विषय नहीं।

क्या सच नहीं कि हमें ऐसे कितने मसलों पर साक्षर होने की जरूरत है? इन मसलों पर एक राय न होना ही जल के मामले में हमारे निरक्षर होने का पुख्ता सबूत है। तकनीकी डिग्री-डिप्लोमा प्राप्त कितने ही लोग ऐसे हैं, संचयन ढांचे बनाने के लिए जिन्हें न विविध भूगोल के अनुकूल स्थान का चयन करना आता है और न ही ढांचे का डिजाइन बनाना। यदि हमारे सरकारी ढांचें में यह निरक्षरता न होती, तो मनरेगा के ज्यादातर ढांचें बेपानी न होते। भारत की कृषि को भूजल पर निर्भर बनाना अच्छा है या नहरी जल अथवा अन्य सतही ढांचों के जल पर? क्या इसका उत्तर, पूरे भारत के लिए एक हो सकता है? यदि हम अनुकूल माध्यम के बारे में साक्षर होते, तो 'स्वजल' परियोजना के तहत् उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इंडिया मार्का हैण्डपम्प लगाने की बजाय, चाल-खाल बनाते।

अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हमारी साक्षरता पर गौर कीजिए। कोई प्राकृतिक जंगल को सर्वश्रेष्ठ मानता है, तो किसी को इमारती जंगल बेहतर लगता है। किसी को गिद्ध, गौरैया, गाय, कौआ, बाघ, भालू, घड़ियाल, डॉलफिन से लेकर अनेकानेक प्रजातियों की संख्या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता; अनेक हैं, जिन्हें फर्क पड़ता है। अभी दिल्ली के एक अस्थमा पीड़ित व्यक्ति से तीन ऐसे पौधों की खोज की, जिन्हें लगाकर हम अपने आसपास की हवा को साफ कर सकते हैं। किन्तु हममें से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते।

कहना न होगा कि पानी-हवा समेत कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनके दैनिक उपयोग और संरक्षण को लेकर भारतीय समाज के हर वर्ग को साक्षर होने की जरूरत है; नेता, अफसर, इंजीनियर, ठेकेदार, किसान से लेकर शिक्षक, वकील और डॉक्टर तक। यदि हम इनके उपयोग और संरक्षण को लेकर साक्षर हो जायें, तो न मालूम अपना और अपने देश का कितने आर्थिक, प्राकृतिक और मानव संसाधनों को सेहतमंद बनाये रखने में सहायक हो जायें!

सद्ज्ञान से स्वावलम्बन

हमारी दैनिक समस्याओं को लेकर आज हमारे समक्ष पेश ज्यादातर विकल्प, खरीद-बिक्री की रणनीति पर आधारित हैं। बाजार, कभी किसी ग्राहक को स्वावलम्बी नहीं बनाता। अतः सच यही है कि इन विषयों की साक्षरता और स्वयं करने का कौशल ही हमें इन मामलों में स्वावलम्बी बनायेंगे। अतः हमें सिर्फ पानी-पर्यावरण ही नहीं, बल्कि विकास को टिकाये और बेहतरी की दिशा में गतिमान बनाये रखने के हर पहलू के प्रति साक्षर होने के प्रयास तेज कर देने चाहिए। रास्ते और रणनीति क्या हो? इस पर सभी को अपने-अपने स्तर पर विमर्श और जमीनी काम शुरू कर देने चाहिए। इस बाबत हम स्वयं चेतें और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लोक चेतना केन्द्रों को भी चेताएं।

मददगार तकनीक, साझे से समग्रता

यूनेस्को के महानिदेशक ने इस बाबत अपने सभी सहभागी देशों से निवेदन किया है कि संपूर्ण साक्षरता लक्ष्य हासिल करने हेतु वे मोबाइल फोन समेत उपलब्ध आधुनिक तकनीक को एक ताजा अवसर के तौर पर लें। उम्मीद है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण, संचार और सूचना से सम्बद्ध मंत्रालय इस दिशा में कुछ सोचेंगे और संयुक्त रूप से कुछ करेंगे। ❑

विनम्र श्रद्धांजलि

भूदान एवं जेपी आंदोलन के सक्रिय तथा रायबरेली (उत्तर प्रदेश) जिले के पूर्व अध्यक्ष सूर्यप्रसाद द्विवेदीजी का गत 7 सितंबर, 2015 को निधन हो गया।

आप राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर काफी चिन्तित रहते थे, जिससे जिला सर्वोदय मंडल को काफी बल मिलता रहा। आपके निधन पर उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री रवीन्द्र सिंह चौहान ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि सूर्य प्रसाद द्विवेदी हमारे अग्रज स्वरूप थे और निकट का संबंध था, जिसे भूल पाना असम्भव है।

ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोक-संतप्त परिवार को इस कठिन समय में दुःख सहन करने की शक्ति दे। स्व. द्विवेदीजी को विनम्र श्रद्धांजलि।

–रवीन्द्र सिंह चौहान

संकटमोचक को संकट न बनाएं

❑ डॉ. ओ. पी. जोशी

इस प्रमुख समस्या से निजात पाने हेतु मिट्टी एवं कागज की लुगदी (पेपर मेश) से प्रतिमा निर्माण व इन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाना सबसे बेहतर विकल्प है। धर्मशास्त्र एवं पुराणों में भी मिट्टी की महिमा दर्शाते हुए मिट्टी से बनी प्रतिमाओं के पूजने का समर्थन किया गया है। मिट्टी को पवित्र माना गया है एवं इसीलिए पार्थिव शिवलिंग व प्रतिमाएं मिट्टी से बनायी जाती हैं। मिट्टी के साथ-साथ तांबा, पीतल, रजतल एवं स्वर्ण प्रतिमाओं के पूजन को भी उचित बताया गया है। इस धातुओं से बनी प्रतिमाओं का प्रतिवर्ष पूजन भी समस्या का काफी हद तक निदान कर सकता है।

सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव मनाने की लोकमान्य बालगंगाधर तिलक द्वारा प्रारम्भ की गयी परम्परा एक शताब्दी से भी ज्यादा की यात्रा कर चुकी है। दस दिवसीय गणेशोत्सव को पर्यावरण हितैषी बनाने हेतु तीन बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा। प्रथम है प्रतिमाओं का निर्माण, द्वितीय स्थापना स्थलों (पांडाल) के कार्यक्रम एवं तृतीय प्रतिमा व पूजन सामग्री का विसर्जन। प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी एवं रासायनिक रंगों से सजाई गयी प्रतिमाओं के विसर्जन से जलस्रोतों में गाद भरने की समस्या के साथ-साथ जल प्रदूषण भी होता है। रंगों में पारा, सीसा, केडिमियम, क्रोमियम, जिंक, मेगनीज व आर्सेनिक आदि रसायनों के यौगिक पाये जाते हैं। देश भर में किये गये कई अध्ययन गाद भरने तथा जल के विषाक्त होने की पुष्टि करते हैं।

सन् 1990 में कोलकाता विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग के प्रो. जे. जे. घोष ने हुगली नदी के पानी का अध्ययन कर सल्फाइड, सीसा, क्रोमियम एवं पारा की मात्रा प्रति लीटर सामान्य से 20 गुना तक अधिक पायी थी। कुछ वर्षों बाद केन्द्रीय प्रदूषण मंडल के वैज्ञानिकों ने भी हुगली पर अध्ययन कर बताया था कि लगभग 20 हजार बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन से छः टन वार्निश तेल व तीन टन रंगीन पदार्थ जमा हो गये थे। अहमदाबाद, बड़ौदा, ठाणे, भोपाल एवं हैदराबाद स्थित झील या तालाबों में प्रतिमा विसर्जन के बाद मछलियों के मरने के समाचार चित्रों सहित समाचार-पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं।

इस प्रमुख समस्या से निजात पाने हेतु मिट्टी एवं कागज की लुगदी (पेपर मेश) से प्रतिमा निर्माण व इन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाना सबसे बेहतर विकल्प है। धर्मशास्त्र एवं पुराणों में भी मिट्टी की महिमा दर्शाते हुए मिट्टी से बनी प्रतिमाओं के पूजने का समर्थन किया गया है। मिट्टी को पवित्र माना गया है एवं इसीलिए पार्थिव शिवलिंग व प्रतिमाएं मिट्टी से बनायी जाती हैं। मिट्टी के साथ-साथ तांबा, पीतल, रजतल एवं स्वर्ण प्रतिमाओं के पूजन को भी उचित बताया गया है। इस धातुओं से बनी प्रतिमाओं का प्रतिवर्ष पूजन भी समस्या का काफी हद तक निदान कर सकता है। प्रतिमा स्थापना के दिन जुलूस बनाकर गाजे-बाजे, डीजे एवं पटाखे जलाकर प्रदर्शन करने के स्थान पर सादगी अपनायी जानी चाहिए। गाजे-बाजे, डीजे तथा पटाखों से 100 डेसीबल के आसपास का शोर पैदा होता है। इस शोर से अध्ययन कर रहे विद्यार्थी तथा मरीज परेशान हो सकते हैं। जुलूस से बाधित यातायात एवं पटाखे वायु प्रदूषण भी बढ़ाते हैं।

इस समारोह में यातायात नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। प्रतिमा स्थापना के स्थान (पांडाल) मुख्य सड़कों से दूर इस प्रकार बनाना चाहिए कि किसी भी हालत में आवागमन प्रभावित न हो। प्रतिदिन होने वाली आरती, भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रसाद वितरण में पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कार्य शोर प्रदूषण पैदा करने के बजाय मधुर एवं कर्णप्रिय हो तो लोगों की आस्था इस धार्मिक आयोजन में ज्यादा बढ़ेगी। प्रसाद का वितरण प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में न हो तो ज्यादा बेहतर है। पंडालों में सजावट हेतु भी प्लास्टिक सामग्री को काटा जाए। पांडालों में सी.एफ.एल. एवं लीड लाईट का उपयोग आवश्यकतानुसार करके काफी बिजली भी बजायी जा सकती है। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर सारे कार्यक्रम समाप्त किये जाये। पंडालों में प्रतिदिन होने वाला कूड़ा-कचरा भी निर्धारित स्थानों पर डाला जाये। गणेशोत्सव के अंतिम दिन प्रतिमा विसर्जन समारोह भी सादगी व शालीनता से हो।

ध्यान रखें कि पेयजल के जीवन स्रोतों में किसी भी हालत में प्रतिमाएं विसर्जित न की जाएं। स्थानीय प्रशासन ने यदि कृत्रिम जलाशय बनाये हों तो वहां विसर्जन को प्राथमिकता प्रदान करें। जल व अक्षत के छींटे देकर खेत एवं बगीचे की मिट्टी में विसर्जन को भी शास्त्र सम्मत बताया गया है। श्रद्धा एवं परम्परा को निभाते हुए प्रतिमाओं को पानी में कुछ देर डुबोकर फिर पुनर्उपयोग के लिए दिया जा सकता है। कोल्हापुर में ऐसे कुछ प्रयास किये गये हैं एवं प्रतिमा पानी में डुबोकर फिर निर्माताओं को वापस दे दी गयीं। मुम्बई में कुछ संगठनों ने प्रतिमाएं टाइल्स निर्माण कारखानों में प्रदान की। घर पर बाल्टी में पानी भरकर प्रतिमा विसर्जन कर वह पानी बगीचों या खेतों में डाला जा सकता है। फूल पत्तियों वाली पूजन सामग्री को जलस्रोतों में विसर्जित न कर जैविक खाद बनाने वाली संस्थाओं को पहुंचाई जा सकती है। भगवान गणेश को हमारे यहां विघ्नहर्ता माना गया है। फिर उनके आयोजन से पर्यावरण में विघ्न कम से कम हो, यह प्रयास किया जाना चाहिए।❑

जमीन से जुड़ा है जीना-मरना

❑ आइरिन

जिन देशों में लोगों के पास पर्याप्त भू-अधिकारों, पानी एवं ऊर्जा की उपलबधता नहीं है, वे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फिसड्डी देशों में से हैं। इस वर्ष के ग्लोबल हंगर इंडेक्स अध्ययन की सह-लेखक क्लाडिया रिंगलर ने बताया कि इन संसाधनों और खाद्य असुरक्षा के बीच एक स्पष्ट सह-संबंध है। यह अध्ययन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और एनजियोज कंसर्न वर्ल्डवाइड ने संयुक्त रूप से किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अध्ययन में अलग-अलग देशों के लोगों की, खेती योग्य जमीन, साफ पानी और सस्ते ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच संबंधी आंकड़ों की तुलना की गयी है। इसके लिए तीन सूचकांक लिए गये—पोषण, बाल-मृत्यु और बच्चों का वजन। अध्ययन के अनुसार बीस देशों में भुखमरी का स्तर बहुत ही खतरनाक है। इनमें ज्यादातर देश उप सहारा अफ्रीका या साउथ एशिया के देश हैं। इनमें तीन देश—बुरुंडी, इरीट्रिया और हैती के ग्लोबल हंगर इंडेक्स आंकड़े बहुत ही बदतर हैं।

खाद्य सुरक्षा का पानी, ऊर्जा और जमीन संबंधी विकास से गहरा नाता है। कई विशेषज्ञों ने अपने अध्ययनों से यह बताना शुरू कर दिया है। रिंगलर ने बताया ''हम ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं जो कि लोग पहले से नहीं जानते, बल्कि हम तो इस अध्ययन के माध्यम से लोगों का ध्यान फिर से इस तरफ खींच रहे हैं।''

ज्यादातर देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को जमीनें दे दी जाती हैं ताकि उन पर बायो ईंधन उत्पादन के मकसद से आयात की जाने वाली फसलें बोई जा सकें। अध्ययन खाद्य सुरक्षा के मामले में इस तरह जमीनें हथियाए जाने की भूमिका को रेखांकित करता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि ऊर्जा साधनों की बढ़ती कीमतों से किसानों की ईंधन और उर्वरक लागतें तथा खाद्य फसलों की बजाए बायो ईंधन फसलों की मांग बढ़ रही हैं और पानी भी मंहगा होता जा रहा है।

अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि जिन 32 देशों में बड़े पैमाने पर जमीनें इस तरह से उद्योगों और कंपनियों को दी गयी हैं वे काफी पिछड़े हुए या खराब स्थितियों में हैं। इन देशों में अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है फिर भी लोगों के पास मुश्किल से ही अपनी जमीनों पर मालिकाना हक है। सात देशों—कम्बोडिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, लाइबेरिया, फिलीपींस और सिएरा लिओन में कुल खेती के रकबे का 10 प्रतिशत हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सौदों में फंसा हुआ है। इन सभी देशों में भुखमरी उच्च स्तर पर है।

इथोपिया सरकार बड़े पैमाने पर जमीनें देने की अपनी नीतियों की आलोचना को ही खारिज करती आयी है। ये उसके पंचवर्षीय विकास एवं परिवर्तन योजना का हिस्सा है। उसका इस बात पर जोर है कि लाखों डालर का विदेशी निवेश होने से रोजगार पैदा होंगे, घरेलू कृषि विशेषज्ञता बढ़ेगी और इससे देश की गरीबी व गंभीर खाद्य असुरक्षा दोनों में ही कमी आयेगी।

इथोपिया सरकार के कृषि मंत्री के सलाहकार टेकालिन मैमो का कहना है जमीनें देना दोतरफा नजरिये की हिस्सा थी। उन खेतिहारों के लिए खाली पड़ी कृषि योग्य जमीनें पेश करना जो बसना चाहते थे और चूंकि देश में काफी जमीन उपलब्ध है तो हम उन्हें भी जमीनें देते हैं जो इसमें निवेश करना चाहते हैं। इस तरह जमीनों से जो राशि प्राप्त होती है वो सीधे संबंधित क्षेत्रीय सरकारों को उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में खर्च करने के लिए भेज दी जाती है। टेकालिन ने यह भी कहा कि जिन कंपनियों ने जमीनें लेने के बाद उनमें पर्याप्त निवेश नहीं किया उनके खिलाफ कदम उठाये जा रहे हैं। अब इन मामलों को सख्ती से देखा जा रहा है।

सिएरा लिओन और तंजानिया में किए गये खास अध्ययनों की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह जमीन के ये सौदे खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं। खासतौर पर छोटे किसानों की तो हालत ही खराब हुई है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बताती है कि सिएरा लिओन में उपलब्ध कृषि योग्य जमीन का कोई 20 प्रतिशत हिस्सा विदेशी उद्यमियों ने हथिया रखा है। निवेशकर्ता वहां ताड़, गन्ना एवं चावल जैसी खाद्य फसलें उगाते हैं और ज्यादातर को निर्यात करते हैं। अध्ययन में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें सिएरा लिओन के दक्षिणी प्रान्त में 24 गांवों में फैली जमीन, सोंकफिन एग्रीकल्चरल कंपनी लिमिटेड को निर्यात के लिए तेल और रबर उगाने हेतु दे दी गयी। स्थानीय किसानों के विरोध के बावजूद, यह सौदा 50 सालों तक कायम रहा। किसानों को प्रति एकड़ नुकसान के लिए एक बार 220 डालर का भुगतान किया गया। उन्हें शिक्षा और रोजगार का भी भरोसा दिलाया गया था।

लेकिन असलियत यह रही कि बहुत ही थोड़े से लोगों को काम पर लिया गया। जिन्हें काम पर लिया भी गया उन्हें दिहाड़ी हिसाब से मजदूरी दी गयी। तिस पर खाद्य कीमतें भी मई 2011 से मई 2012 के बीच 27 प्रतिशत तक बढ़ गयी, जो कि स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से की हैसियत से बाहर थी।

अध्ययनकर्ता संस्था ने तंजानिया के दक्षिणी इलाके के इरिंगा जिले का एक अनुभव रेखांकित किया है। तंजानिया में सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों के पास उनकी जमीनों का आधिकारिक तौर पर मालिकाना हक है। यहां 12 गांवों में काम करते हुए कंसर्न संस्था ने कोई 6000 लोगों को उनकी जमीनों का हक दिलाने में मदद की। इससे उन्हें ऋण लेने की सुविधा मिली और अकाल संभावित क्षेत्र में संसाधनों संबंधी विवाद भी कम हुए।

अध्ययन बताता है कि इन दोनों ही देशों में छोटे भूधारकों को मजबूत बनाने संबंधी कानून मौजूद थे लेकिन इन नीतियों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्थानीय नेतृत्व जरूरी है। रिंगलर ने कहा कि इन देशों में खाद्य सुरक्षा में निवेश करने एवं प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक दोहन करने के लिए भी राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

रिंगलर अपनी बातों में यह भी जोड़ती हैं कि जल विशेषज्ञ, ऊर्जा विशेषज्ञ से, शोधकर्ताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक, किसान से लेकर नीति निर्माताओं तक विकास के सभी साझेदारों को आपस में एक-दूसरे से संवाद करना चाहिए। ❑

गतिविधियां एवं समाचार

जमनालाल बजाज पुरस्कार घोषित होने पर 'नागरिक अभिनंदन'

श्री मानसिंह रावतजी को 'रचनात्मक कार्यों में असाधारण सहयोग' के लिए 'जमनालाल बजाज पुरस्कार : 2015' की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार मानसिंह रावतजी को नवंबर, 2015 में मुम्बई में दिया जायेगा।

उत्तराखंड में सर्वोदय का पर्याय बन चुके मानसिंह रावतजी व उनकी सहधर्मिणी शशिप्रभा बहन ने पिछले छः दशकों से भूदान, नशाबंदी, वन-सुरक्षा, बालिका शिक्षा व महिला संगठन के अनवरत कार्य से सर्वोदय विचार की अलख जगाये रखीं, समाज के अंतिम व्यक्ति को उम्मीद व दिशा प्रदान की और अपनी व अगली पीढ़ी के कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने।

पुरस्कार की घोषणा पर सर्वोदय मंडल, देहरादून द्वारा मानसिंह रावतजी व शशिप्रभा बहन का 'नागरिक अभिनन्दन' कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें 'विनोबा सम्मान' प्रदान किया गया। साथ ही, इस अवसर पर प्रदेश भर से 12 अन्य बुजुर्ग व अग्रज सर्वोदयी कार्यकर्ताओं को, जो प्रचार-प्रसार से दूर आजन्म दुरस्थ क्षेत्रों में समाज-सेवा का काम करते आये हैं, उन्हें भी 'विनोबा सम्मान' प्रदान किया गया।

'नागरिक अभिनंदन' व 'विनोबा सम्मान' कार्यक्रम उत्तराखंड मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री हरीश रावत (मुख्यमंत्री) व सभाध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल (अध्यक्ष, विधानसभा) रहे। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री रावत ने कहा कि 'आतंकवाद और संकीर्णता के आज इस दौर में सर्वोदय विचार तथा अहिंसा का सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है।'' श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल ने, मानसिंह रावतजी का जीवनपर्यन्त नशाबंदी कार्य का उल्लेख करते हुए, आज समाज व खासकर नवयुवकों में बढ़ती नशा प्रवृत्ति पर चिन्ता जताई और कहा कि सरकार व समाज, दोनों को इस बात को और अधिक गंभीरता से लेना होगा।

87 वर्षीय मानसिंह रावतजी का जन्म 24 जनवरी, 1928 को पौड़ी गढ़वाल के कैण्डुल गांव में आर्थिक तौर पर सम्पन्न परिवार में हुआ। बी. ए. कर लेने के बाद मानसिंह रावत जी ने पारिवारिक व्यवसाय से न जुड़कर, 1951-52 में मुम्बई के टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंसेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने 'कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन एंड ट्राईबल वेलफेयर' का अध्ययन किया। इस प्रतिष्ठित संस्थान से कोर्स करने वाले वे पहले उत्तराखंडी थे। 1953 में आगे के अध्ययन के लिए उनका एक साल अमरीका जाने के लिए चयन हुआ था, मगर विनोबा से प्रेरित और देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने वह एक साल सर्वोदय व समाज सेवा को देना तय किया। और 1954 में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही सर्वोदय को दान कर दिया।

शशिप्रभाजी, सरला बहन की छत्र-छाया में लक्ष्मी आश्रम, कौसानी में पढ़ीं-बढ़ीं। 1955 में आपकी शादी मानसिंह रावतजी के साथ हुई। शादी के तुरंत बाद ही दोनों घर और बस्ती से दूर बीहड़ में, बोक्सा जनजाति के बीच एक कुटिया में अपना घर बसाया और आज भी उनके बीच रहकर काम कर रहे हैं।

अभिनंदन वक्तव्य में जिला सर्वोदय मंडल देहरादून के अध्यक्ष बीजू नेगी ने मानसिंह रावतजी और शशिबहन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रावतजी का जीवन आत्मनिर्भरता व मितव्ययिता का सजग, विचारपूर्ण, चिन्तन युक्त उदाहरण रहा है। आपकी जीवनशैली गांधी के सर्वोदय विचार के प्रति उनकी अंतर्निष्ठा का सर्वोत्तम स्वरूप तो है ही, साथ ही धरती के संसाधनों का आदर्श, उत्कृष्ट व शाश्वत उपयोग भी है। आपके स्वास्थ्य, यश व अक्षय पुण्य की कामना करते हुए बीजू नेगी ने आगे कहा कि मानसिंह रावतजी एवं शशिप्रभा बहन उत्तराखंड में सर्वोदय वालों के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े सभी लोगों के लिए आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप विद्यमान हैं और 'गांधी भारत वापसी शताब्दी' के महत्त्वपूर्ण वर्ष में 'जमनालाल बजाज पुरस्कार' के लिए उनसे बेहतर चयन कोई नहीं हो सकता था।

सर्वोदय मंडल देहरादून की सचिव सुश्री सुमित्रा चौहान ने मंडल के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए चार मांगें रखीं—पहला, 30 जनवरी 'गांधी शहादत दिवस' पर दो मिनट मौन की बंद हुई प्रथा को प्रदेश भर में पुनः स्थापित किया जाये। दूसरा, 1930 में देहरादून में 'नमक सत्याग्रह' के खाराखेत गांव में नून नदी के उपेक्षित पड़े स्थल पर स्मृति वन व संग्रहालय बनाया जाय और खाराखेत गांव तक मार्ग का नाम 'नमक सत्याग्रह मार्ग' किया जाय। तीसरा, प्रदेश की शराब नीति पर व्यापक बहस करायी जाय तथा चौथा, सर्वोदय साहित्य व विचार के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से 'सर्वोदय भवन' के लिए जगह मुहैया करायी जाय।

सर्वोदय मंडल देहरादून द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मानसिंह रावतजी व शशिप्रभा बहन के अलावा जिन 12 अन्य वरिष्ठ सर्वोदय कार्यकर्ताओं को 'विनोबा सम्मान' प्रदान किया गया, वे इस प्रकार हैं—टिहरी के दलीप सिंह सजवाण, धूमसिंह नेगी व बिहारीलाल भाई, चमोली के मुरारीलाल, पौड़ी के त्रिलोक सिंह रावत, अल्मोड़ा की बसंती बहन, बागेश्वर के सदन मिश्र, देहरादून के चिन्मय व्यास, मुनीन्द्र भूषण उनियाल, कासिम हसन सिद्दीकी व खशुहाल सिंह 'स्नेही'। कार्यक्रम के संचालक अशोक नारंग ने बताया कि आचार्य विनोबा भावे के नाम पर यह सम्मान स्थापित किया गया है, जिसे हर साल 11 सितंबर को विनोबा जयंती के अवसर पर दिये जाने की योजना है।

इस अवसर पर सर्वोदय साहित्य व प्रदेश की जैवविविध बीजों की प्रदर्शनी भी लगायी गयी। अन्य उपस्थित लोगों में थे बीज बचाओ आंदोलन के विजय जड़धारी, मैती आंदोलन के कल्याण सिंह राव, महिला सामाख्या की गीता गैरोला, सर्वोदय मंडल के धीरेन्द्र तिवारी, हरबीर सिंह कुशवाहा, शैलेन्द्र भंडारी आदि। **–बीजू नेगी**

भाई केशव शरण की कविताएं

अब बस दो चीजें रह गयी हैं

(सीरियाई शरणार्थियों के नाम)

एक बार फिर
एक और देश बंट गया
मिश्रित भाषा-संस्कृति का नहीं
एक-सी भाषा-संस्कृति का
बंट गया
सम्प्रदाय के ख़ानों में
जुदा-जुदा पहचानों में
लेकिन भूमि नहीं बंटी है
इसलिए मार-काट मची है
वह जिसकी रहेगी
पूरी रहेगी
नहीं तो दूसरा देश देखो
देश के कमज़ोर लोगो!

उफ़! कमज़ोर लोग लाखों में हैं
मज़बूत या तो मार दिये गये हैं
या फिर सलाख़ों में हैं

लाखों लोगों में
हज़ारों महिलाएं
और बच्चे हैं
सबने रेगिस्तान भी पार कर लिया है
और समुन्दर भी
इसमें सैकड़ों लोग मारे भी गये हैं
मीडिया के कैमरों ने
कइयों की लाशें भी
देखी और दिखायी हैं
जिनमें एक बच्चे की तस्वीर
उड़ने की मुद्रा में है
चांद के आस-पास,
समुद्र तट पर

ज़िन्दा रहकर
जो रेगिस्तान और समुन्दर
पार कर गये हैं
अब उन्हें उतरना है
दूसरे देश की ज़मीन पर
मगर वह तो खिसक रही है पीछे
लेकिन अपनी जिजीविषा लिये
वे उतर ही आये हैं अंततः
दयनीय दशा में
दूसरों की दया पर जीने
यह अच्छा है कि
उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है
मार-मारकर भगाया नहीं जा रहा है
उल्टे

अब बस दो चीज़ें रह गयी हैं
जिनमें से एक हो
और एक न हो
हो यह कि
वे जल्द लौटें
अपने देश
पुनः प्रेम और एकता में बंधे
और न हो यह कि
अफ़वाह कोई कुचक्र रचे
और दो पाटन के बीच में
साबुत बचे न कोय!

स्थानीय मुद्दे बाद में

मेरे शहर में बिजली नहीं है
मेरे शहर में पानी नहीं है
मेरे शहर में सड़कें नहीं हैं
मेरे शहर के प्यासे लोग
अंधेरे में कहां जायें
लखनऊ कि दिल्ली
जायें भी तो
दिल्ली टरका देती है लखनऊ पर
लखनऊ टरका देता है दिल्ली पर

मेरे शहर को
कोई नहीं भाव देता है
जबकि यहीं से चुना गया
देश का सबसे बड़ा नेता है
अब उसके सामने राष्ट्रीय समस्याएं हैं
और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां
स्थानीय मुद्दे बाद में

तब तलक माला जापिये
गंगा जी के घाट पर

गांधीजी भी ग़ज़ब के हैं

किसी की हत्या
एक बार होती है
लेकिन एक हमारे महात्मा गांधी हैं
जिनकी बार-बार होती है हत्या
या कहिये कि रोज़-रोज़ होती है हत्या
यहां तक कि
उनके जन्मदिन पर भी
उनकी होती है हत्या

किसी की हत्या
एक बार होती है
एक प्रकार से
लेकिन एक हमारे महात्मा गांधी हैं
जिनकी प्रकार-प्रकार से होती है हत्या

गोडसे ने गोली से भूना था एक बार
बाक़ी तो दूसरे हैं
मारते भाव-विचार-व्यवहार के
नानाविध हथियार से
लेकिन हमारे गांधीजी भी ग़ज़ब के हैं
जो मारे से मरते ही नहीं हैं
कि पुनर्जीवित हो जाते हैं तुरंत!

सफ़ाई अभियान

सफ़ाई का
कोई अभियान नहीं था
तो शहर साफ़ था
यह मैं नहीं कहूंगा

यह मैं नहीं कहूंगा
कि शहर गंदा नहीं था
और उसे सफ़ाई अभियान की
आवश्यकता नहीं थी

आवश्यकता से ही
अभियान ने जन्म लिया
लेकिन अभियान ने
परिणाम बेहतर नहीं दिये
जैसे और जितने चाहिए
वैसे और उतने मेहतर नहीं दिये ❑

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा सुरभि प्रिन्टर्स, इंडियन प्रेस कॉलोनी, मलदहिया वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार। छपी प्रतियाँ : 1450